

**REFERENCE TO THE REPORTED  
OVERCROWDING IN GOVERN-  
MENT HOSPITALS IN DELHI—**

**Contd**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): Sir, the honourable Member, Mr. J. K. Jain, asked me as to what we are going to do with regard to the establishment of hospitals on the periphery of Delhi. Sir, I have told on the floor of this House and the other House also that we are building five hospitals on the periphery of Delhi and the hospitals 0\* Hari Nagar and Shahdara are also under construction and they are going to be big hospitals. So, we hope to build seven hospitals on the periphery of Delhi.

SOME HON. MEMBERS: Thank you very much.

**श्री उपसभापति :** अब सदन की कार्यवाही ठाई बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri B. Ramakrishnan) in the Chair.

**RESOLUTION RE. PROGRAMMES  
FOR OVERALL RURAL DEVELOP-  
MENT AND EMPLOYMENT—contd.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The Business Advisory Committee have said that the Resolution before the House today should be finished within two-and-a-half hours. There are a number of speakers. So the mover will get half-an-hour and all others fifteen minutes each.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR (Maharashtra): I have given an amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Yes, you can move your amendment after the mover has moved the Resolution.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Am I also expected to finish with fifteen minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We will see.

**श्री गुरुदेव गुप्त :** मान्यवर, अर्थ की महत्ता को प्रत्येक युग में स्वीकारा जाता रहा है किन्तु भारतीय चिन्तकों में केवल कौटिल्य की दृष्टि अर्थ की महत्ता पर पड़ी थी। उसके पश्चात् धार्मिक आन्दोलनों ने व्यक्ति को फिर से धर्म और दर्शन के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। पूर्व मध्यकाल का एक ऐसा समय भी रहा है जब प्रशासन और समाज के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा और व्यक्ति को पूरी तरह उसके भाग्य पर छोड़ दिया गया।

भारत आदिकाल से ही कृषि प्रधान देश रहा है किन्तु स्वाधीनता पूर्व किसी भी काल में किसान-भजदूरों तथा समाज के ऐसे ही अन्य कमजोर वर्गों की ओर कभी देखा तक नहीं गया। मुगल बादशाह और अंग्रेजों के समय के कानूनों ने भारत में केवल वर्गभेद को ही नहीं उभारा बल्कि जमीनदारों, जागीरदारों, सामंतों और पूंजीपतियों के नये वर्ग तैयार कर दिये जो देश को आम जनता के लिये फिर एक भारी बोझ के समान थे। जिस समय भारतीय जनता गुंगे और अंधे की भाँति अंधमरा जीवन जी रही थी तभी विश्व के विशेषकर यूरोप के देश एक नई आर्थिक क्रांति की गड़गड़ाहट से गुंज रहे थे। मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन तथा अन्य पुरुषों ने मनुष्यों के चित्त की धाराओं को नयी दिशा में मोड़ दिया। किन्तु इन महापुरुषों ने केवल अर्थ के द्वार को खुला छोड़कर चित्त के सभी शेष दरवाजों पर ताले डाल दिए।

मान्यवर, स्वतंत्र भारत में अपनी आँख खोलते ही हमें दिखाई दिया कि दुनिया के दूसरे देश आर्थिक क्रांति के जरिये हमसे बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में यह सब देब कर इतनी अधिक बेचैनी रही कि वे अपने अंतिम श्वास तक भारत का कम से कम समय में विश्व के समुन्नत देशों की पंक्ति में पहुँचा देने के लिए कार्यरत रहे। उन्होंने अमेरिका की बेहिजाव दौलत पर आधारित पूंजीवाद व्यवस्था तथा रूस और चीन की साम्यवाद व्यवस्था में बीच का ही रास्ता बताया जो भारत की परिस्थितियों के सर्वांग अनुकूल था। उन्होंने योजनाबद्ध कार्यक्रमों के द्वारा स्वतंत्र भारत में एक और मूलभूत उद्योगों, बिजली, इस्पात, कोयला, सोमेट, खाद, रिफाइनरी आदि को स्थापना करके जहाँ देश को आत्मनिर्भरता प्रदान की वहाँ दूसरा और तदियों पर बड़े बोध बंधवा कर दिखाई तथा विद्युत के स्रोत भी बढ़ाये। वे तिसवन्देह देश के महान शिल्पा थे जिन्होंने नवोदय भारत का निर्माण किया। किसी देश के इतिहास में 30-35 वर्ष का समय होता ही विज्ञता है। देश को सर्वमान्य नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश निर्माण के कार्यों को चालू रखा किन्तु उनकी पूर्ण दृष्टि देश की 80% जनता जो गाँवों में रहती है और 50-60% आबादी जो गराबी का रेखा के नीचे है पर गई। उन्होंने देश को 1975 में पहला बाँस सुत्री कार्यक्रम दिया। मान्यवर, इस कार्यक्रम में देहातों में रहने वाले जनता को भी यह अहसास कराया कि उनकी भी सुख-समृद्धि का साथी कांग्रेस सरकार है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। देश का प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काफी सफलता प्राप्त की किन्तु 1976 के अति अति देश में बढ़ता अनुशासन जनता को नियंत्रित करने के प्रयास में कांग्रेस को 1977 में सत्ता से हटा पड़ा। जनता पार्टी का शासन आया और उसने कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गये समग्र ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

को एक प्रकार से ठंडे बक्से में डाल दिया। काल-चक्र का पहिया उल्टा घूमा और देश की अर्थ व्यवस्था पुनः पीछे चली गई। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस संबंध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ जो कि कांग्रेस द्वारा किये गये राष्ट्र विकास और जनता शासन के असफलताओं की कहानी को कहते हैं :—

| क्षेत्र  | 1974-77 1977-80          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
|  | कांग्रेस शासन में स्थिति | जनता शासन में गिरावट |
| राष्ट्रीय उत्पादन वार्षिक वृद्धि दर              | 4.1                      | 3.05                 |
| खाद्य उत्पादन वृद्धि दर                          | 2.8                      | 0.20                 |
| औद्योगिक वृद्धि दर                               | 6.7                      | 3.02                 |
| निर्यात वृद्धि दर                                | 26.8                     | 7.8                  |
| विदेशी मुद्रा भंडार                              | 80.4                     | 24.0                 |
| थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि                         | 5.2                      | 8.8                  |
| बिजली उत्पादन वृद्धि                             | 9.8                      | 5.9                  |
| कोयला तथा लिग्नाइट उत्पादन वृद्धि दर             | 8.8                      | 0.6                  |
| रेलवे परिवहन वृद्धि दर (टन किलोमीटर में)         | 9.6                      | 0.2                  |
| ताप बिजली क्षमता उपयोग                           | 55.3                     | 45.4                 |
| सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिष्ठानों में कर पूर्व लाभ | 346 करोड़                | 190 करोड़            |

[श्री गुरुदेव गुप्त]

मान्यवर, इस प्रकार जहाँ जनता शासन असफल रहा वहाँ श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने मात्र विगत दो वर्षों में पुनः भारी सफलता प्राप्त की। उन्होंने मुद्रास्फूर्ति को नियंत्रित करने, उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों को तोचे लाने, आर्थिक विकास की गतिशील करने तथा आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पर्याप्त सुधार करने में सफलता पाई है। यदि सुरक्षा व्यय में इतना अधिक खर्च न हुआ होता तो आर्थिक प्रगति और भी उत्साहवर्धक होती।

मान्यवर, कांग्रेस शासन के अन्तर्गत 'हरित क्रान्ति' की सफलता का यह ज्वलंत प्रमाण है कि एक समय 1342 करोड़ टन खाद्यान्न आयात करने वाला हमारा देश आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है वल्कि विदेशों को भी गलजों देने की स्थिति में है। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट ने इस वास्तविक हाल ही में जो विचार प्रकट किए वह मैं उद्धृत करना चाहूंगा :

"The World Bank President, Mr. A. W. Clausen, has said that he has been very much impressed by the , true revolution that is occurring in the countryside of India. Referring to the socio-economic transformation of near desert Hissar area in Haryana into a prosperous agricultural one, he said, 'This is a success story that has not yet received the full attention it deserves.' Mr. Clausen was making a statement at a Press Conference in New Delhi on January 22 at the end of his five-day visit to the country."

मान्यवर, एकीकृत ग्रामीण विकास की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की योजना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संत विनोबा जी की सर्वोदय योजना के अनुरूप है। इस योजना को इन्होंने नये 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में शामिल किया है। यह कार्यक्रम सर्वप्रथम 1976-77 वर्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री

काल में आरम्भ किया गया था। भारत सदृश्य कृषि प्रधान और गरीब देश के लिये जिसकी अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इससे अधिक उपयुक्त और आवश्यक कार्यक्रम दूसरा नहीं हो सकता था।

31 मार्च, 1980 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 53 लाख परिवारों को सहायता और विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। दुर्भाग्यवश इस अवधि में कुल 20 लाख परिवार ही इस कार्यक्रम में सहायता पा सके। शेष 33 लाख परिवारों के साथ ही करोड़ों और परिवार अभी भी आतुर दृष्टि में अपने विकास पथ को और देख रहे हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आज तक जिन परिवारों को सहायता मिली है उनमें से प्रायः सभी के पास कम या ज्यादा किसी न किसी रूप में भूमि है अर्थात् भूमिहीन ग्रामीण परिवार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हो सके हैं जबकि ग्रामीण अंचलों में सर्वाधिक आर्थिक विपन्नता भूमिहीन परिवारों को है, अतः इस कार्यक्रम का एक प्रमुख मुद्दा और प्राथमिकता भूमिहीनों को इसके तहत लेने की होनी चाहिए।

मान्यवर, अभी तक यह कार्यक्रम विस्तृत रूप नहीं पा सका है। यह इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि सन् 77-78 से मार्च, 80 तक इस कार्यक्रम पर कुल 426 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये जो कि बहुत कम हैं और 13 राज्यों के मात्र 74 जिलों तक ही इसे सीमित रखा गया। इस कार्यक्रम को मुख्यतया राजस्थान व मध्य प्रदेश में ही फैलाव मिला, अन्य राज्यों में यह कार्यक्रम अभी तक पूर्ण मनोयोग के साथ नहीं चलाया जा सका है।

यह, मान्यवर, सभी जानते हैं कि वास्तविक गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में ही है। वहाँ रहने वाले भूमिहीन श्रमिक और कारीगर अर्थ के अभाव में अवर्णनीय कष्ट झेल रहे हैं। अनुसूचित जातियों, जन जातियों और कमजोर वर्ग, छोटे किसान आज भी भीषण गरीबी से तस्त हैं। अतः आज की सबसे बड़ी आवश्यकता महात्मा गांधी के स्वप्न 'ग्रामीण स्वराज्य' की है। ग्रामीण विकास के अगले कार्यक्रम में शासन को निम्न तथ्यों का समावेश अनिवार्य रूप से करना चाहिए:

1. गांवों में पिछड़े गरीब व्यक्तियों को स्व-रोजगार और श्रम आधारित रोजगार को बढ़ावा देना।
2. कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करने हेतु लघु सिंचाई योजनाओं को प्रधानता देना।
3. ग्रामीण जनता की आर्थिक विपन्नता दूर कर उनकी आय में वृद्धि करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आर्थिक ऋण उपलब्ध करना।
5. ग्रामों में विपणन क्षमता को बढ़ावा देना तथा उसे सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना।
6. ग्रामीणों को अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
7. ग्रामों में उपलब्ध वर्तमान साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु उनका साधारण वैज्ञानिकीकरण करना।
8. ग्रामों से पर्यावरण दूर करना।
9. गांवों में काम के बदले अनाज योजना को कार्यान्वित करना।

इस कार्यक्रम की उपयोगिता भारत में कितनी है यह इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि देश भर में आज जो 35 करोड़ व्यक्ति गरीबी के स्तर से भी नीचे हैं उनमें से 30 करोड़ लोग भारत के गांवों में हैं और केवल 5 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं। इस कार्यक्रम में छोटे और मझोले कृषकों पर अधिक जोर इस लिये भी दिया जाना चाहिए क्योंकि सम्पूर्ण देश में जो लोग कृषि कार्यों में लगे हैं उनमें से 75 परसेंट छोटे किसान ही हैं जो गरीबी की रेखा से भी नीचे हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास के लिये शासन को समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए तथा इनके लिये बजट में अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिए।

इस धनराशि का समुचित उपयोग हो और इन कार्यक्रमों का ठीक क्रियान्वयन हो, इसकी देख भाल करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति भी गठित की जानी चाहिए। धन्यवाद।

*The question was proposed.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Now, the Resolution has been moved. There is one amendment, by Mr. Bagaitkar. You can move your amendment without any speech.

SHRI SADASTHIV BAGAITKAR: Sir, I beg to move:

"That after paragraph (ii) the following be inserted, namely:

'(ii) restart food for work programme and enlarge it to cover all States;

(iib) ask the State Governments to start employment

[Shri Sadashiv Bagaikar]

guarantee schemes in order to help vast multitudes living below poverty line to earn some livelihood for themselves;

(iic) to recast its industrial policy with a view to ban production of all those items of daily use like soap, tooth paste, shoes etc. by big factories and reserve their production by medium and small size plants with a view to increasing the employment opportunities in the rural areas."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The Resolution and the amendment are open for discussion Shri Nanda.

SHRI NAKASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution which has been moved by Mr. Gurudev Gupta recognises the need for time-bound schemes and allocation of adequate funds and constitution of a Parliamentary Committee to oversee the implementation of the schemes, which would be formulated for overall rural development and to solve the problem of unemployment. My friend, Mr. Bagaikar, has suggested, in his amendment, certain concrete programmes like resumption of the Food-for-Work Programme and the introduction of Employment Guarantee Scheme and he has also made a suggestion to reserve certain items for production by medium and small size plants. I was expecting Mr. Gupta, when his name came first in the ballot, to give a one sentence, simple Resolution, on the twenty-point programme. This would have covered everything, all problems. I do not know, why he took so much labour in drafting this Resolution in the form in which he has presented it before the House. However, Sir, I am happy that even Mr. Gupta recognises that there is a deficiency in the Sixth Five-Year Plan and in the approach of the Government so far as the problems of rural development and employment are

concerned. He would like specific schemes, time-bound schemes, to achieve this objective. He would like greater allocation of funds in the Budget. He knows that the Budget will be presented tomorrow in the evening and, certainly, our suggestions here will not have any impact on the Budget which will be presented tomorrow, in the evening. Perhaps, he has in view the future Budgets of this country.

Sir, before I deal with this question. I will just describe what is the picture in the rural areas today. In spite of our Plans, in spite of several rural development schemes, one must take the realities into consideration. I come from a State which is backward and within that State, the area from which I come is a hilly area. In this area, 40 per cent of the population comprise of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is one of the most undeveloped areas. You know in most of the villages 70 per cent of people cannot afford two meals a day, cannot afford two pieces of cloth in a year, cannot afford even a small hut to live in and sometimes they have to live in a place comparable to a cowshed. They cannot send their children for education, cannot get medical aid if they want. The basic necessities which, of course, Mr. Gupta has mentioned, they do not get. And six months in a year they are under-employed. They are employed, partially. Casual employment is there in the villages. There is no industry. The question of medium or small size plant does not arise. The artisans who were following their traditional occupation, are also fast disappearing. That is the rural picture today. When I describe this, I do not mean to say that nothing has been done, nothing has been achieved. There has been some achievement in certain sectors, but none of these achievements have reached the rural areas, and in the rural sector it has reached .01 per cent of people who are the real affluent class, who constitute only .01 per cent in the village. Go to

a village. You may find one individual who is taking all the benefits from the block, getting all the benefits of the development work and the bulk of the population in the village is neglected. So, some radical thinking is necessary, some basic thinking is necessary to develop the rural areas of this country. Until we do it, this kind of schemes which are in operation are certainly not going to help bulk of the people of this country. When I say, a radical thinking is necessary, I must also very clearly say what is in my mind. We have been experimenting upon a system since we achieved independence. We started with mixed economy. We wanted to please every section of people in the society. We wanted to be goody-goody with everyone in the society and as a result ■flte could npt slatisJiy anybody. A time.lias come when we have to make a choice, with whom we want to go. If we want elevation of the condition of thj. rural poor who are the backbone of our Indian society, for whom we talk from our house-tops everywhere, we have to do some serious thinking on the question of our approach to these problems.

The other point that I want to make in this context before I give my comments on ththese problems is, we have not succeeded so far in this country in normalising any system. If you want a ration card, you need a recommendation from a Member of Parliament. If you wani to be admitted to thf! hospital, some M.P. must recommend your case. If your boy has to be admitted to the school, a recommendation from the Member of Parliament is necessary. For a rail-wa y reservation, a Member of Parliannfc must go and get reservation for you. Take any number of instances. Nothing happens in the normal way. Wa have not been able to develop a noi mal system in this country. That is the greatest tragedy of this country that the leaders do not think how to go about so that a normal system can be achieved and the people should get these things in the normal course of business.

The problem of unemployment is very acute. There are educated unemployed in the ' cities and urban areas. As I said, and I think the hon. Minister will also agree with me, 90 per cent of the people in the rural area remain under-employed. They get seasonal employment throughout the year. In this context the Sixth Five Year Plan does not fulfil the requirements which the hon. mover of this Resolution has mentioned. It does not fulfil any of these requirements./ So far as the question of unemployment is concerned, I know gradually some boys of the rural areas are getting educated. They feel frustrated without employment and it is going to create a problem even for the administration, if not today, in five or ten years to come. The way the Resolution has been put, there can be no controversy about it at all. Who does not want all-round over-all rural development in this country? Is anybody opposed to over-all rural development in this country? Is anybody opposed to providing employment to the unemployed in this country, or to formulation of tirne-bound programmes and allocation of adequate funds for these programmes? Nobody is opposed to this. But who is doing it? Therefore, Sir, whatever we may discuss here, I shall not believe that it would be possible to achieve this over-all development .in the rural areas, or to give employment to every able-bodied person which is enshrined in the Directive Principles of our Constitution unless we change our system radically atad are successful in evolving a system which functions without the recommendations of Members of Parliament, Membe<sub>rs</sub>, of Legislative Assemblies and members of various categories who exercise power at different levels. Thank you, Sir.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICIK (Oricaa): Hcfti'able Vice-Chairman, Sir, I rise to take part in the decision on the Resolution moved by our hon'able friend, Shri Gurudev Gupta. I really want to emphasise the point

[Shri Harekrushha Mallick]

that this Private Members' Resolution from the Treasury Benches is practically a revelation as to the failure of this Government. Actually he has told the truth how this Government and the other Governments over the last thirty years, ever since getting freedom, have failed, and failed miserably to really look at the flora-fountain of power and purse i.e. the common man of this country. The common people contribute taxes to run the machinery. They contribute their votes to form the Governments. But after that they remain ignored, neglected and sometimes suppressed. Well, in this country, it is a matter of shame to hear and read in the press that a flood wave came and so many people died here or there, a cold wave came and so many hundreds or thousands of people died in Bihar, Uttar Pradesh or elsewhere. In the summer, due to the heat wave also so many people die here and there. And, above all, there have also been waves of dacoities and waves of police action here and there, killing and molesting people here and there. And also there do come political waves, either during an election or during a period like an emergency, this or that. There also, people suffer on the periphery.

Well, Lord Buddhai when he was a child, saw two things. One day, he saw an old man and asked his charioteer what it was. He said, "He is old. Everybody has to be old like this and suffer." Another day, he saw a coffin being carried away and when asked he was told, "Well, this is called death. One has to die some day." Well, after these things, he had to forsake this worldly life and go for penance and seek salvation and well-being for the mankind.

Incidentally, I saw at Cape Comorin, a place of tourist haunt, a fellow citizen, and an honourable person, who was then picking up

something and putting into a basket which she was carrying like a child and on seeing it I found that she was carrying dried human excreta to keep that area clean. Well, in a city like Bombay or Ahmedabad I found men and women in yoke dragging a cart, possibly to make their living because there was no other vocation for them. And, incidentally, I remember the film "Mother India" and also an extract from the novel "The Good Earth" when the lady was in yoke. It was so painful to read that a tender creature like woman was in yoke. That is the fate of this nation if we see things with our eyes open. But, I am sorry, the people who occupy offices, either by chance or by manipulation or by sheer accident, are not keeping their outer eyes or inner eyes open. I criticise no particular group or party. At those who are in any assignment, those who occupy offices of profit or those who represent the people are like that. I take to task everybody and ask, "How long will it continue? And why should these things be ignored?" We see, for example, the Railway Budget has been placed here recently. The immediate point of concern is that the Railway fares have been raised. But has anybody seen that an ordinary conductor who conducts bogeys from station to another, pockets not less than Rs. 300 a day in any train?

Well, come to any other area. Say, the telephones and other things. Perpetual nuisance is going on. We are importing telephones, doing this and doing that and raising rates and tariffs. But what is the service we get false telephone bills. I think all the hon. Members here or in the other House will share with me the same opinion on how we are being duped. The STD facility is there for our convenience, and that convenience is being misused by somebody else.

Well, if an analysis is made and if we enquire, 99.999 per cent of the

people in different offices will be found to have disproportionate assets. This actually means that neither is the Government becoming richer nor is the country becoming richer nor are the people becoming richer. It is only a few people who are in the machinery, who are becoming richer day by day whether they are in services or in business. The business houses, compared to 1947, have multiplied their assets a hundred times, two hundred times and three hundred times.

Yesterday only there was a question raised by one of our hon. Members here, why a concern producing electricity was being handed over to a private firm. Immediately there were murmurs in some corners of the House saying, "Why not?" This is how things go on in this country.-

If we are here to represent the view point or perpetuate some interest, the country or the nation will never improve. If I drag away all the resources to my area or to my State or to a corner of the society, then the society will remain ailing and the country will also remain ailing. Budgets after budgets are coming. We are failing to reach the target, the welfare of the common man. He is still having the same description of Mahatma Gandhi. He is half-clad, under-fed, and still remains poor. On the eve of the Budget cartoonists draw the pictures of a frail man under the burden of the taxes, this and that. Actually that is not a cartoon. That is the real truth. We go to any corner of the country, any village. We find half-naked and not only under-fed but something hungry people also for days together.

My hon. friend has brought this as a private Member's bill. As he belongs to the Treasury Bench, would this be adopted as a Government Bill?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): It is a resolution,

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: accidentally our hon. Prime Minister and others have been making allegations that the Opposition was not coming forward for co-operation. I am ready here to adopt such a Bill.

The common people in the villages are still waiting for some thing to happen. Let us talk of even drinking water. In this country more than 75 per cent of the people do not get a tumbler of drinking water any day, which is pure, which is safe and which is without any harm. Well, go to a part of India, the areas of Rajasthan, the areas of Maharashtra, the areas of Gujarat, Madhya Pradesh and Haryana. They are in the grip of a dreaded disease called the Guinea-worm infection due to the stagnant water in the ponds and all that. Look at the Chambal Valley where we have thousands of square kilometres of landscape lying arid and unused and also misused because that has been the hideout for the dacoits. Now, why are the people whom we call dacoits taking to that valley and all that? I sometimes say that there is not much difference between the Chambal Valley and the Valley of Administration. Recently I was giving evidence before a committee on jail reforms and a question was asked: Do you think that the people who are in the jail should be there? And what do you think of the people who manage the jails? Well, I said: "In most cases the people who manage the jails actually deserve to be put in jail because on many occasions innocent people are caught and harassed by the administrative machinery". Wherever there is police action we find that there is widespread molestation and rape as if the police have acquired a right to rape. Similarly there have been massacres of Harijans here and there.



[Shri Harekrushna Mallick] (Time-bell rings). Just one or two points. The Government is failing to spell out the steps they propose to take. Even in the President's Address they have kept silent on this matter.

Now we are talking about development and all that. But the eastern sector is being very grossly ignored. They feel as if they are a colony. The same is the case with the southern part. Only yesterday an hon. Member said how in the southern part of the country also, they feel alienated. Then where is India? If we remember that book written by late Pandit Jawaharlal Nehru, "Discovery of India", well, where is India? If the southern part feels that it is not in the mainstream, if the entire north-eastern region feels that it is not in the mainstream, if the vast area of Rajasthan and other parts feel that they are not in the mainstream, then who are in the mainstream and where is the mainstream flowing? Now, let us take Delhi itself? In Delhi itself on the periphery we find the same story: there is no drinking water; there is no housing. And the DDA and other bodies are going on in their own way. In the process you find that those whom we are keeping as commissioners, are busy collecting their commissions, those whom we are keeping as collectors, are collecting for themselves and those whom we are keeping as Block Development Officers are really blocking the development of that area. Now this is the misery of this country, how the people in the administrative machinery are callous and not conscious of our future. That is how and why every corner of the country is ignored. So long as even the man is feeling ignored, this country is not going to make headway. So it is really time for us to see what actually we should do. May I just seek your indulgence for one minute to say that there is

no sense in presenting such a budget like the railway budget which was presented to Parliament. And the General Budget is going to be presented tomorrow. It is now time for us to have a pre-budget discussion, whether for railways or for the general budget so that for every Ministry in the Centre and in the States, there is a separate and full discussion, so that it is a need-based budget, an objective budget, a people's budget. Then only every aspect of the national scene can be looked at properly and in the right perspective and we can really progress. Thank you.

**श्री शिव लाल बाल्मीकि (उत्तर प्रदेश):**

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री गुप्त जी ने जो संकल्प पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। यह सही है कि भारत गांवों में बसा है। सम्पूर्ण भारत में ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं और कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं। गांवों में रहने वाले जो किसान हैं, खास तौर से कुछ जिलों में उनकी जो स्थिति है वह बहुत ही खराब है। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वे इतने ज्यादा गरीब हैं कि न तो उनके पास भूमि है और न ही उनके पास कोई रोजगार है। उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वे अपना जीवन-यापन कर सकें। ऐसी हालत में गांवों के विकास के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा धन स्वीकार करना चाहिए। अगर गांवों के विकास के लिए धन नहीं होगा तो गांवों में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी। हमारे हरिजन भाई खास तौर से गांवों में रहते हैं और वे इतने गरीब हैं कि कभी-कभी उनको भूखों रहना पड़ता है। चूंकि मैं भी हरिजन हूँ, मैं उनके बीच में जाता हूँ और उनकी हालत को देखता हूँ। कुछ गांवों में तो उनकी हालत बहुत ही खराब है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ

आने-जाने के कोई साधन नहीं हैं। ऐसे गांवों में सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ इस बात की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे जो हरिजन भाई गांवों में रहते हैं उनके मकान बरसात में गिर जाते हैं। उनके पास रहने के लिए अन्य कोई सुविधा नहीं होती है। हमारे देश में ऐसी भी बहुत सी बस्तियां हैं जो नदियों के किनारे हैं और नदियों में बाढ़ की वजह से वे बस्तियां नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में गांवों का विकास सम्पूर्ण रूप से करने की जरूरत है। अगर हम गांवों का विकास नहीं करते हैं तो भारत का विकास होना संभव नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पैसा गांवों के विकास के लिए दिया जाना चाहिए। हमारे जो गरीब किसान हैं, जो खेतों में हल जोतते हैं, उन किसानों को उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। गांवों के अन्दर जो जमींदार लोग हैं या जो सामन्ती टाइप के लोग हैं, उनकी यह भावना रहती है कि इन गरीब लोगों की जमीन छीन ली जाय और इनको बेमरद्वार कर दिया जाय। कई बार ये सामन्ती लोग उनके लिए अनेक समस्याएं खड़ी कर देते हैं। गांवों में रहने वाले जो गरीब किसान, मजदूर और अन्य लोग हैं वे इनके अत्याचारों के कारण तबाह हो जाते हैं। कुछ गांवों में कोई सड़क नहीं होती है और विकास का अन्य काम भी नहीं होता है जिससे पुलिस भी समय पर वहां नहीं पहुंच पाती है। वहां पर पुलिस और थानों की व्यवस्था तभी हो सकता है जब गांवों का विकास हो, वहां सड़क बनाई जाय, वहां पर अस्पताल खोले जायें। अगर उन्हें अपना इलाज कराना होता है तो उनको मीलों दूर

जाना पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि गांवों के विकास के लिए छोटे-छोटे अस्पताल बनाये जायें। उन अस्पतालों के साथ जब तक आप ये सारी व्यवस्थाएं नहीं करते हैं जब तक भारत का विकास असंभव होगा। मैं चाहता हूँ कि इन कामों के लिए सरकार को रुपया स्वीकार करना चाहिए और विकास के कार्यक्रमों के अन्दर उस रुपये को लगाया जाना चाहिए।

हमारे गांवों में बेरोजगारों की भी बहुत समस्या रहती है। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जिनको कुछ टाइम के लिए तो काम मिल जाता है, लेकिन बाकी समय वे बेकार रहते हैं। उनके पास रोजी-रोटी या अन्य कोई साधन नहीं होता है। इस बेकारी के कारण उनके बच्चे भूखों मरने लगते हैं। इसलिए सरकार से मेरी अर्ज है कि कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जायें जिनसे लोगों को रोजगार मिले और जब वे लोग बेकार होते हैं उस वक्त उनको रोजगार मिल सके। यह तभी संभव हो सकता है जब गांवों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया स्वीकार किया जाय। जो योजनाएँ अभी हमारे यहां कुछ दिन पहले चलती थी, जनता शासन में जिनको खत्म किया जो लोग बेचारे वहां सड़क बनाते थे उनके कुछ मजदूरों दी जाती थी और वह इसलिये दी जाती थी ताकि गांव का विकास भी हो सके और मजदूरों को रोटी भी मिल सके, रोजी भी मिल सके। इस भावना को दृष्टि में रखकर इसको किया गया था। आज गांवों के विकास के लिये इन सब चीजों की जरूरत है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पीने का पानी भी नहीं है। नदियों का पानी पीते हैं। वहां कुर्बों की व्यवस्था नहीं है। जहां यह स्थिति

[श्री शिवलाल वाल्मीकि]

है, जहाँ नदियों का, तालाबों का पानी पाते हैं वहाँ की क्या दशा होगी? हमें गांवों का विकास करने के लिये कुछ बनाने चाहिए और बिजली के साधन जुटाने चाहिए। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है। बिजली से वहाँ पर ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं, इसके लिये बिजली के साधन जुटाने होंगे। गरीब लोगों के मकान बनाने के लिये हमें ओर भी रूपया सेंकशन करना पड़ेगा। जो लोग अपना मकान नहीं बना पाते हैं, उनकी सहायता के लिये कुछ रूपया और रखें और उनको सहायता के रूप में अनुदान के रूप में देकर उनकी मदद करें। आज हमारे बहुत सारे हरिजन गरीब और छोटे छोटे लोग जो कि गांवों में बसते हैं उनकी तरफ खासतौर से हमें ध्यान देना होगा। हम लोग जो चुनकर आते हैं लेकिन हमारे इलाके में ही कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ हम भी नहीं पहुँच पाते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ट्रेन तक नहीं देखी है जो अभी भी शहर की हालत नहीं जानते हैं। ऐसे भी गांव हैं जो कि भोषण जंगलों के बीच में स्थित हैं और जो डाकुओं के इलाके कहलाते हैं, वहाँ रहते हैं। इसलिये ऐसे लोगों की तरफ सुरक्षा की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से ध्यान देना होगा और उनका विकास समग्र रूप से करना होगा। यह तभी हो सकता है जब कि हम इसके लिये ज्यादा से ज्यादा रूपया रखें और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें।

एक बात मैं खासतौर के यह कहना चाहता हूँ कि अभी जो किसान जिस खेत पर खेत कर रहा है वह भूमि उसको मिलनी चाहिए। वह भूमि अक्सर उनको मिल नहीं पाती है। उनको कुछ समय तक वह भूमि देते रहते हैं और कुछ समय

बाद फिर उस भूमि को उनसे छीन लेते हैं। हमारे जो हरिजन और गरीब लोग हैं उनको पट्टे पर जमीन देकर कहा जाता है कि इस पर खेतो करो। लेकिन वह पट्टा उनको सही रूप में नहीं दिया जाता है। उनको कहा तो यह जाता है कि आपको पट्टा कर दिया गया है शकर खेती करो। लेकिन जो सामंत वादी लोग हैं वे अपनी भूमि उनको मजदूरी से खेतो के लिये अरु दे देते हैं लेकिन कुछ समय बाद फिर उनसे वापस छीन लेते हैं। ऐसी जो परिस्थितियाँ सामने हैं, उनके लिये हमें कुछ करना पड़ेगा।

कुछ ऐसे कस्बे और गांव हैं जहाँ बिल्कुल भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी वहाँ बीमारी इतनी फैल जाती है इतनी गंदगी हो जाती है, लेकिन न वहाँ डाक्टर जा पाते हैं और न इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि गांव के समग्र विकास के लिये हम अधिक से अधिक धन जुटाएँ और ज्यादा से ज्यादा धन देकर हम ऐसे गांवों का विकास करें। तभी भारत की तरक्की सम्भव हो सकती है।

वैसे जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसने बराबर गांवों की तरफ ध्यान दिया है वह बराबर गांवों की तरफ गई है। लेकिन बहुत लम्बे अरसे से ऐसी परिस्थितियाँ सामने रही हैं जिनके कारण आज भी काफी गांव ऐसे रह गये हैं जो पिछड़े हुए हैं जिनकी तरक्की नहीं हो सकी है। उन की ओर भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। उनकी तरफ हमारा ध्यान जाय ताकि भारत में रहने वाले गरीब जो गांवों में हैं उनका विकास हो सके। कांग्रेस शासन ने हमेशा इन गांवों की तरफ ध्यान दिया है। जितनी भी छोटी छोटी योजनाएँ चल रही हैं और जो करने

जा रहे हैं वे भी गांवों के लिये हैं। गांवों की ओर सरकार का जो यह दृष्टिकोण हुआ है उसके लिये मैं सरकार का कृतज्ञ हूँ उसका आभारी हूँ। श्रमती गांधी के दिल में हमेशा गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति और छोटे लोगों तथा मजदूरों के प्रति सद्भावना सदा से रही है। उन्होंने इस बात को देखा और वे इस काम में लगे हुई हैं। लेकिन क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, इस देश में बहुत सारा पिछड़ापन था, इसलिये इसको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान है। महोदय, मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि गांवों का ज्यादा से ज्यादा खयाल करके, गांवों के लिये समग्र क्रान्ति का जो हथौड़ा लक्ष्य है उसको पूरा किया जाय और जो वास-पूजा कार्यक्रम अभी आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इन शब्दों के साथ जो संकल्प माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

**श्री हरी शंकर भामड़ा (राजस्थान) :**  
उपसमाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सत्तारूढ़ दल में भी ऐसे प्रबुद्ध संवद सदस्य हैं जिनको इस बात का अह्वास है कि सरकार के कामों में कहीं न कहीं कमियां हैं और उनमें और गति देने की जरूरत है। ग्रामीण विकास जिस गति से होना चाहिये उस गति से नहीं हो पा रहा है लेकिन साथ साथ में विडंबना यह भी है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य बीच-बीच में भ्रमगति भी है इसलिए इन्दिरा जी की जब पथ कार भी करते जा रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया। प्रस्ताव में यह बात कही गई है कि ग्रामीण विकास को और तेज करने के लिए

1907 RS—8.

प्रस्ताव पेश हो रहा है, वह कह रहे हैं सब कुछ हो रहा है, तो फिर प्रस्ताव की क्या जरूरत थी। यह प्रस्ताव अच्छा है इसलिए इस प्रस्ताव पर मुझे भी कुछ विचार प्रकट करने का मौका प्रस्तावक महोदय ने दिया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सत्तारूढ़ दल में रह कर उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत की, इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया कि बजट में ग्रामीण विकास के लिए समुचित राशि आवंटित नहीं हुई है। अब तो बजट आने वाला है, इस आशंका से कि कहीं फिर से यह राशि कम न हो ज्यादा होनी चाहिये। समयबद्ध योजना नहीं चल रही है, इसलिए समयबद्ध योजना भी चलनी चाहिये और इन कार्यक्रमों की देखभाल करने के लिए सरकार के मंत्री, सरकार की मशिनरी सक्षम नहीं है इसलिए पार्लियामेंट के सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिये ताकि वह ठोक प्रकार से देखे कि ठोक से काम चल रहा है या नहीं, यह बात बिलकुल वाजिब है। लेकिन इस संबंध में जो संशोधन वागार्हित-कर साहब ने पेश किया है मैं समझता हूँ कि उसमें प्रस्तावक महोदय को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उन्हीं के प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए उसमें कुछ संशोधन रखे हैं और उनको वे स्वीकार कर लेंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं उन संशोधनों का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह बात सही है कि चूहे सत्तारूढ़ दल कितनी भी घोषणाएं क्यों न करे लेकिन आज भी देश में ग्रामों की अवस्था शोचनीय बनी हुई है। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में वे रह नहीं पाते क्योंकि रहने के अनुकूल परिस्थिति वहां बनाई नहीं जा रही है और शहर में आने के बाद शहर के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से उनकी दुर्गति की जाती है जिस प्रकार

**[श्री हरी शंकर भाभड़ा]**

से स्लम में उनको रहना पड़ता है जिस प्रकार की दयनीय अवस्था में उनको अपना जीवन बिताना पड़ता है, यह दृश्य बड़ा दर्दनाक है। इसलिए इस संबंध में जितना सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाए उतना ही थोड़ा है। हमारे सामने समस्या यह है कि सात लाख गाँव हिन्दुस्तान में हैं। शहर जनसंख्या को बढ़ातरी के कारण परेशान हैं। गाँव में हालत यह है कि लोगों के जो परम्परागत धंधे हैं जो वे करते थे उन धंधों को चालू रखने के लिए जो सरकार की ओर से व्यवस्था करनी चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था आज तक 35 वर्षों में भी सरकार ने नहीं की। जबकि गांधी जी के ग्रामीण स्वराज्य में इसकी पूरी पूरी परिकल्पना दी हुई है कि हिन्दुस्तान का विकास, हिन्दुस्तान की उन्नति इसमें जो गाँव है उनकी उन्नति पर ही आधारित है। इसलिए हमारी सारी योजनाएँ ग्रामोत्थान को ध्यान में रख कर ग्रामोन्मुखी होनी चाहिये। लेकिन आप पूरी पंचवर्षीय योजनाओं को उठा कर देख लीजिये, बजट उठा कर देख लीजिये कभी भी गाँव की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। प्रारम्भ में तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने का मीनियाँ यहाँ हो गया था। पंडित जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े काम जो होते थे उनको मन्दिर कहते थे। वे कहते थे कि यह हमारे आधुनिक मन्दिर हैं और इस प्रकार से सारा पैसा शहरों के अन्दर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में लगा। धीरे धीरे अपनी समझ में जैसे जैसे आने लगा तो कुछ धन गाँव की तरफ डवलपमेंट के लिए डाइवर्ट किया जाने लगा लेकिन आज भी गाँव की अवस्था शोचनीय है। वहाँ पर पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आज भी 6 लाख गाँव में अँकड़े उठा कर देख लीजिये, मैं आपको राजस्थान

के बारे में बता सकता हूँ राजस्थान में कुल 33 हजार गाँव हैं जिनमें से 12 हजार गाँव ऐसे हैं जहाँ पर एक बूँद पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है। 35 साल आजादी को हो गये हैं लेकिन 35 साल में आज तक इन 12 हजार गाँवों में जो पानी मिलता है वह खारा पानी है। उस पानी को कोई पी नहीं सकता, पशु भी पीयें तो मर जायें, लेकिन वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं की गयी है। आज अंदाजा लगाईये जब पीने के लिए पानी गाँव में नहीं होगा तो आदमी वहाँ पर क्या करेगा।

रोजगार नहीं है। यदि जमीनें हैं तो फसल की पैदावार पर निर्भर है। न छोटी से छोटी सिंचाई योजना वहाँ पर है। जो परम्परागत धंधे लोग करते आये हैं न उनको बढ़ाने के लिए मदद दी जाती है, न उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। योजनाएँ बनती हैं और जैसे भरे सहयोगी श्री नन्दा साहब ने कहा कि ब्लाक लेवल में जितना पैसा विकास के कार्यों में दिया जाता है, वह गाँव के कुछ सूट्टों भर लोगों के हाथों में रह जाता है, वे ही उसका फायदा उठाते हैं। सारे ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिलता है, न ही इसकी देखभाल करने वाला कोई है कि क्या आपने जो लाखों रुपया गाँव के उत्थान के लिए ब्लाक कमिटी को बाँटा, उसका उपयोग हुआ भी कि नहीं, उनको लाभ हुआ कि नहीं। यह कोई देखने वाला नहीं है और वह पैसा सरपंच और कुछ ब्लाक प्रधान की जेबों में रह जाता है, गाँव के लोगों को नहीं मिलता। योजनाएँ सब हैं, मैं यह नहीं कहता कि योजनाएँ नहीं बनी हैं, अब भी गाँवों के लिए बनी हैं अब भी कोई मंत्री होंगे तो सारे आँकड़े देख कर बता देंगे कि हमने इतने लाख शिक्षा के लिए और इतना पानी

की व्यवस्था के लिए दिया है। ये सब योजनाएँ हैं। पैसा भी आपने तय किया है लेकिन उसका उपयोग, जिस मतलब से वह प्राविजन बनाया गया है, उसको पूरा करने के लिए, हो नहीं पाता है और यह सत्य है। आप किसी भी गाँव में चले जाइये, लोगों को कोई न कोई परेशानी है।

शिक्षा को समुचित व्यवस्था नहीं है, यदि स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर आ गये तो लड़के नहीं। बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं, जगह नहीं और यदि स्कूल में लड़के भी हैं, मास्टर भी है, बिल्डिंग भी है तो शक नहीं है, डस्टर नहीं है, कुर्सी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, यह हाल है शिक्षा का और यह खास तौर से गाँवों में है। उनके स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है कभी किसी ने ध्यान दिया कि गाँव के लोगों पर क्या बातचीत है? छटा छोटों बामारियों के कारण आज भा लोग मरते हैं। सर्दी और जुकाम से निमानिया बनकर लोग गाँव में मर रहे हैं। बुखार शुरू होता है और उष्ण समुद्रित इलाज नहीं होता इसलिए उनका लावर बढ़कर उनको मृत्यु हो जाता है। कहां जाये, कोई व्यवस्था नहीं है और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अभा स्वास्थ्य मंत्रों जो होते तो बता देते कि हमने इतने बना दिये। मुझे मालूम है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिये हैं परन्तु वह सारा पैसा डाक्टर, कम्पाऊंड और अन्य स्टाफ अपने काम में लाता है। कहीं जाता नहीं और गाँव के लोग जायें तो उल्टा उनको डांटते हैं। क्या यह कोई देखा है? आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिये, लाखों का बजट बना दिया लेकिन देखने वाले कौन हैं कि उस पैसे का उपयोग गाँव के लिए हो रहा है या

नहीं। न शिक्षा की व्यवस्था, न उनके स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था और पहले तो जमीन नहीं है और यदि किसी के पास जमीन है तो जहाँ सिंचाई नहीं है वहाँ पानी के कारण परेशानी है और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ लोग परेशान हैं क्योंकि वहाँ पर पानी देने वाली सरकारी मशीनरी अपनी मर्जी से पानी देती है, किसी को ज्यादा और किसी को कम देती है। गंगानगर में हमारे इलाके, राजस्थान में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ रोजकतल होते हैं पानी को ले करके, क्योंकि वहाँ के सिंचाई विभाग के लोगों से मिल कर काश्तकार अपने खेत में ज्यादा पानी ले लेते हैं और दूसरे को कम मिलता है, इससे झगड़े होते हैं, आपस में, मार-पीट होती है लेकिन उस की तरफ कोई देखने वाला नहीं है, उसकी तरफ सुधार करने वाला कोई नहीं है।

हम बिजली सारे गाँवों में ले जा रहे हैं, बहुत से गाँवों में बिजली पहुंची है इसमें कोई शक नहीं है परन्तु जहाँ बिजली नहीं पहुंची है वहाँ के लोग इसलिए परेशान हैं कि बिजली नहीं पहुंची है और जहाँ बिजली पहुंची है वहाँ लोग इसलिए परेशान हैं बिजली नहीं आ रहा है मगर बिल बराबर आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों की फ्लक्चुएशंस के कारण मटरें दवा, तीन तीन हजार कामल का हर दूरे तनारे महने जल जाती हैं। मगर इतक चिंता बिजली विभाग नहीं करता है उनको पैमेंट करना ही पड़ता है। मगर उनका सुनवाई कौन करेगा? गाँव का आदमी जाये कहां? कहीं जा नहीं सकता, कलेक्टर के पास जाय तो उसका पहुंच नहीं, उसके लिए तो पटवारों ह। सबसे बड़ा शक है। हमारे यहाँ गाँवों में एक कहावत है कि 'ऊपर कतरि और नीचे पटवार' बस सारा दुनियाँ

[श्री हरीशंकर भाभड़ा]

जन दोनों के बीच में है। सब कुछ गांव में करने वाले पटवारों हैं और ऊपर भगवान हैं। मगर उस पटवारों से कौन जनको लाभ दिलायेगा? वे किस तरह का व्यवहार वहाँ करते हैं। न तहसीलदार उनको जिता करता है, न एस०डी० ओ० करता है, न कलेक्टर करता है और गांव के लोग अगर नहीं मूल से शिकायत क्षेत्र पहुंच जायें तो पहले उनको मूंडा जाता है जो कुछ उनके पास पैसा है फिर उनको बड़े आराम से धक्का दिया जाता है, ये पारा दुर्गतियाँ हैं। यह दुर्गति जनका होता है। मगर इसका देबवाल करने वाला कोई नहीं है। यह मैं सारे गांवों की स्थिति बता रहा हूँ। इन सारों परिस्थितियों को बदलने के लिए हमको बड़ इच्छाशक्ति का आवश्यकता है। इसके लिए हमें ईमानदारों से अपनी नीयत को साफ करके और अपनी इच्छा को मजबूती के साथ लागू करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा सभापति बनाना पड़ेगा कि जो योद्धाना हम बना रहे हैं, जिसका ध्यान हम गांव के विकास के लिए रहे हैं, जिसका प्रोजेक्ट हम बजट में करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स करता है, उसका उपयोग गांव के लोगों के लिए हो रहा है कि नहीं और इसलिए मैं प्रस्तावक महोदय को इस प्रस्ताव के अंश से पूरे तौर से सहमत हूँ कि इसका जांच करने के लिए संसद सदस्यों की समिति होनी चाहिए और इसमें विरोधी दलों के संसद सदस्य भी होने चाहिए ताकि वह वहाँ जाकर फिर इस अवसर में नहीं लड़ें कि इन्दिरा जी के खिदफ कहेंगे, तो मुश्किल होगा और अच्छा बात लड़ेंगे तो वैसे मुश्किल होगी। यह समस्या विरोधी दलों को नहीं आयेगी और इन्होंने यह प्रस्ताव जिस रूप में आया है और जो अमेन्डमेंट भी बागाईंकर जी ने पेश किया है—

(समय की घंटी)--उस रूप में मैं इनका समर्थन करता हूँ और मैं प्रस्तावक महोदय को फिर धन्यवाद देता हूँ कि भविष्य में भी वह सजग रहें। जब भी उनको लगे कि उनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको समय-समय पर चेतावनियाँ देते रहें और इस प्रकार के प्रस्ताव लाते रहें ताकि सरकार को भाँपता चले कि उनको गति, जिसको कि वह बहुत तेज बता रहे हैं, वह तेज नहीं है, बड़ी धीमी है। यह उनके अपने सदस्यों के लिए संतोषप्रद नहीं है।

धन्यवाद।

♦SHRIMATI ILA BHATTA-CHARYA (Tripura): Hon. Mr. Vice-Chairman, I want to speak in my mother tongue, Bengali. The Mover has moved a good Resolution But the idea behind this Resolution is not a new one. For a time-bound scheme the allocation of money should be on a massive scale. Now the Resolution says that a Committee consisting of Members of Parliament should be appointed to oversee whether the programmes in the time-bound scheme are being implemented or not. This is a very good proposal and I support it.

After independence we introduced time-bound programmes through Five Year Plans. Now we are at the last stage of the Sixth Five Year Plan. But what is the condition in India? The Mover has himself said that more than fifty per cent people in our country still live below poverty line. So the programmes in the Five Year Plans are not being implemented properly, although we are at the last leg of the Sixth Five Year Plan. My submission, therefore, is that our Five Year Plans have failed.

If we really want to develop our rural areas, we must see who are the

•English translation of the original Speech delivered in Bangal!

inhabitants there. One section of population there are agriculturists. They constitute eighty per cent of rural population. Best belong to the classes of artisans—potters, blacksmiths, weavers etc—and petty traders. So those who are landless agriculturists, they must be provided with land. The Govt. of India has a special responsibility to distribute land to the landless. Similarly, the Government will have to undertake other programmes to better the economic conditions of non-agricultural classes.

Sir, you know, that eighty per cent of rural people depend upon agriculture. But out of total agricultural land forty per cent land belongs to the landlords. You can, then, realise that land is in the possession of few persons.

Sir, we know, that our poor agriculturists are under the clutches of village money lenders. Due to constant price rise, the prices of agricultural inputs are increasing day by day. The prices of fertiliser and seeds are always on the high side. Consequently, the poor agriculturists are forced to sell their lands as the agricultural operation has become uneconomic for them. They are forced to sell their lands to village money lenders even as they borrow money from them in times of distress by mortgaging their lands with them. As they fail to pay their debt, the village money lenders ultimately become masters of their land. This is how our poor agriculturists are turning into landless labour in greater number day by day. The governments of West Bengal and Tripura have adopted a comprehensive plan to save our poor agricultural labour. The West Bengal Government passed legislation to recover benami lands so that those lands may be redistributed to the landless agricultural workers. But, unfortunately, that legislation is still awaiting the assent of the President I

reel, must be accumulating over that legislation in the Central Government Office. So what is the use of time-bound programmes unless we sincerely implement them.

Sir, the Left Front Government of West Bengal and Tripura have again taken a step to safeguard the interests of sharecroppers. Those sharecroppers were being ejected from their lands by land-holders. Why today is there torture on Harijans? The reason is that these Harijans have started voicing their protests against the low minimum wages and eviction from their lands at the sweet will of land holders. So the big Jotedars have started evicting Harijans from their lands out of vengeance. The Governments of West Bengal and Tripura have enacted legislations to establish tenancy rights for sharecroppers. Under those legislations, the names of thousands of sharecroppers have been registered in Tripura. In West Bengal alone the names of ten lakhs sharecroppers have been registered. So these are the ways to save our rural people from exploitation.

Sir, for non-agricultural people in rural areas, the Government should create more employment opportunities for them. The Government of India introduced Food for Work programmes throughout the country in order that our rural people may get jobs in times of distress. The purpose of this programme is to eliminate the chances of famine from our rural areas. During the days of natural calamities the people in West Bengal and the people in Tripura came on the brink of starvation. But the Food for Work programme saved them from certain starvation deaths. We know, before the left front government came to power in Tripura, starvation deaths occurred when people were in distress for want of work. But after the introduction of Food for Work programme that



[Shrimati Ila Bhattacharya]

not a single starvation death has taken place. So is the case in West Bengal and in other States.

This Food for Work Programme has developed rural areas in other spheres. Many roads and village bridges have been constructed under these programmes. Many new ponds and embankments have come into existence. So these are the ways to better the economic condition of our rural people.

Sir, during the seasons of agricultural operations our landless agricultural workers work in "the fields of others. But the land owners pay wages to them at their sweet will. They are not getting justice in this regard because the government of India has not yet enacted Minimum Wages Act for them.

You may remember, sir, that in the Winter Session an Honourable Member from Bihar in Lok Sabha, Shri A. K. Roy, moved a Resolution urging the Central Government to enact the Minimum Wages Act, applicable to the entire country. But, unfortunately, the Central Government has rejected that Resolution. Had that Resolution seen the light of the Day, it would have been impossible to exploit our labour by paying them wages at the rates of two or three rupees. But Honourable Minister Rao Birendra Singh did not care to accept such a good proposal, so if we do not take up such welfare measures for the betterment of rural poor, we can never help them despite many time-bound schemes. Should I think that Rao Birendra Singh has acted in this manner as per the conditions laid down by I.M.F.? We already know that under those conditions wages cannot be increased. So my firm faith is that Honourable Minister Rao Birendra Singh refused to fix minimum wages for our Labour under the pressure of conditions as laid down by I.K.L.F.

Sir, the Central Government has now introduced National Rural Employment Programme throughout the country in place of Food for Work Programme. According to NREP programmes the Central Government is to supply wheat and rice to the State Governments. But these commodities are not being supplied to the States as per demands. Tripura is getting only one sixth of their quota. In regard to West Bengal the supply position is worse. In 1981-82 the West Bengal demanded an allotment of wheat and rice upto two and half lakh tons but actually they got twenty thousand tons. So it is clear that States are not getting assistance from the Central Government and without that how do you expect that States will be able to develop rural areas?

Sir, you know that Jute Corporation of India has a responsibility towards the jute growers. It is their duty to purchase jute from them at remunerative prices fixed by the Central Government. But, unfortunately, the J.C.I. is not purchasing jute direct from the growers. In Tripura, I have seen a<sup>h</sup>\*<sup>3</sup> organisation purchasing old stock of jute from businessmen. So the Central Government should issue a directive to J.C.I. to purchase Jute direct from the grower<sup>3</sup> at fixed fair price. It should also be laid down in that directive that they should not purchase jute even from the agents engaged by businessmen.

For the development of India, village Panchayats should be given wide powers. It will enable the rural people to participate directly in various welfare activities, meant for them. It will make them think how they can better their lot. In West Bengal and Tripura Panchayats have done commendable jobs in the interests of rural people. But we require sufficient money to run Panchayats.

Sir, for the Sixth Five Year Plan the allocation of money was to the tune of Rs. 90,000 crores. But the actual expenditure came to Rs. 97,000 crores. We already knew that in the

Sixth Five Year Plan North Eastern region was neglected. So even in this increased expenditure of Rs. 7,000 crore, not a single paisa was spent for that region.

West Bengal and Tripura are famous for their hand-loom cloth. Both the States are exporting it to earn foreign exchange for the Central Government. But what are we doing to improve the condition of weavers? These weavers are not getting yarn at cheap prices. Consequently, they cannot maintain their families by marketing their products. So my proposal is that weavers throughout the country should be provided with yarn and other inputs at subsidised rates. This is the way to help our rural people. Mere time-bound schemes will not deliver the goods.

We have seen green revolution in the country. But has it really improved the lot of rural people? We know that rural people are still starving, so the basic requirements are: Firstly, we must have a firm policy for the betterment of rural people and, secondly, we must grow a mentality to implement that policy. My submission is that our efforts should be sincere and this regard.

I, therefore, support the Resolution in principle. But I specially support the amendment moved by Honourable Member Shri Bagaitkar, as it relates to the re-introduction of Food for Work Programmes. I pay special emphasis upon the re-introduction of Food for Work Programmes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN). Mr. Meena.

SHRI SADASHTV BAGAITKAR: What happened to my name?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): It is coming.

SHRI SAB-ASmV BAGAITKAR: When? In the third round? I should speak in the first round. Sir, it is absolutely wrong. How would Mem-

bers know what amendments I have moved under 3S-..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. RAMAKRISHNAN): Please get down'. I will tell you. We are going by the usual order and this is the first round.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मेरा एक प्वाइन्ट आफ ऑर्डर है। 11 बजे ही मैंने नाम दिया था नोटिस देखकर सत्रेदारी के हाथ में हफ्टेन आवर के लिए भी और इस के लिए भी। मेरे नोटिस का क्या हुआ ? 11 बजे मैंने नोटिस दिया था। आप पता लगाये कि ऐसा क्यों होता है ? हर एक के लिए क्या रिमाइण्डर योजना जरूरी है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. RAMAKRISHNAN): Mr. Jha, I can only go by the list given to me here. In this list under Janata Party Dr. Mallick's name figures first and yours is second.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: That is not the point. You find out what happened to my notice.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): I will find out.

श्री धूलेश्वर सोणा (राजस्थान) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु देव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोधी पार्टी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। भागड़ा जी अभी यहाँ बैठे नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि जो बातें के लोग उठाते रहे हैं उनको अब कांग्रेस पार्टी वाले भी उठाने लगे हैं। लेकिन यह आपकी धारणा गलत है क्योंकि हम लोगों के दिल में या कांग्रेस वालों के दिल में गांवों के प्रति कोई सद्भावना नहीं है ऐसी बात नहीं है।

**श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) :** इकसेप्रांत हर जगह हो सकते हैं। आप उसके अपवाद हो सकते हैं।

**श्री धूलेश्वर मीणा :** मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, पहाड़ों का रहने वाला हूँ और मुझे मालूम है कि किस प्रकार की गांवों में हालत है। किस प्रकार की गांव वालों के रहन-सहन की हालत है। मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महादय को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यह प्रस्ताव वे लाये। श्रीमन्, गांवों की हालत यह है कि सबसे पहले मैं जमीन के बारे में निवेदन करूँगा। आज हिन्दुस्तान की 80 से अधिक प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और अधिकतर जनता खेती पर ही निर्भर करती है। आज उन खेतों के अन्दर, उस जमीन पर जिस पर किसानों का अधिकार है, सरकार के कुछ ऐसे कानून बन जाते हैं जिनसे ऐसी कुछ अड़चनें पैदा हो जाती हैं कि उनको अपने खेत पर ही आसानी से खेती नहीं करने दी जाती है। पटवारी या तहसीलदार साहबान उनको बेदखल कर देते हैं। देश को आबादी बढ़ती जा रही है और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जमीन खूब तो है नहीं बिल्कुल खींचकर लम्बा किया जा सके। जो कुछ जमीन हमारे पास है उसी में सबको अपना भरण-पोषण करना पड़ेगा। इसलिए किसान के बच्चों की जब संख्या बढ़ती जाती है तो वे अपनी खेती के लिए आगे बढ़कर जंगल में चले जाते हैं और उसको भी खेती लायक बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी जंगल से इलाका वे निकालें तो जंगलत वाले कानूनी कार्यवाही करते हैं। और उसके ऊपर इतना दण्ड किया जाता है कि वह उसका भुगतान नहीं कर सकता है और वापस अपनी जंगल की जमीन छोड़कर उसी जमीन पर निर्वाह करने पर अजबूर हो जाता है। तो मेरा सरकार से

यह निवेदन है कि जो किसान खेती पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को अपनी खेती के लिए ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जाती है, जंगलों में काबिले-काश्त जमीन है उसको परिवर्तित करके किसानों को दी जानी चाहिये। आज जंगल को, जैसा कि पिछले सत्र में हमारे कृषि मंत्री राव साहब ने बताया कि जंगल का जो स्टेट सक्जैक्ट था उसको केन्द्र के अधीन ले लिया है। अब उसमें इतनी दिक्कत पड़ गई है कि गांव का रहने वाला आदमी दिल्ली में तब सचमूच नहीं पहुंच सकता, वह स्टेट गवर्नमेंट के पास तक भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन आज हालत यह है कि स्टेट गवर्नमेंट भी उस जमीन को जहाँ किसानों के लिए जंगल से निकालने की जरूरत होती है, उसको वह नहीं निकाल पाती है। तो मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की दिक्कतें दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को उसी प्रकार के अधिकार देता कि वह इस प्रकार की जमीनों को उपलब्ध कराकर किसानों में बंटवारा कर सके।

श्रीमन्, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि सिचाई का जहाँ तक सवाल है आज हिन्दुस्तान का अधिकतर किसान अपनी खेती की पैदावार के लिए बारिश पर निर्भर करता है। जब बारिश होती है तो उसकी खेती में उपज होती है और बारिश न हो तो वह भूखा मरता है और आधे दिन अकाल पड़ता रहता है। और खेतों की बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे स्टेट राजस्थान की हर बार यह हालत होती है और आज चार साल से लगातार कहीं न कहीं अकाल पड़ता रहता है। तो मैं निवेदन करूँगा कि बहुतेरे नदियों, पैरिनिडल रिबर्स के पानी को बांधकर सिचाई के लिए किसानों को देने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पर

रेगिस्तान है और उधर पैरिनियल विस की कमी है, तो उत जगह पर जैसा कि बहुत पहले से स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव किया था और भारत सरकार ने भी इसको माना था कि साउथ से जो माही नदी का पानी है उसको लिफ्ट करके राजस्थान के रेगिस्तान में लाने की योजना जो भी उस योजना को पूरा किया जाए। मैं समझता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिए स्वोक्ति देगी और साथ ही चम्बल रिवर राजस्थान की जो है उसको गंगा से मिलाकर एक लम्बा सिद्ध सिस्टम बनाने की जो योजना थी उसको भी लागू करेगी तो इसी राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा सिंचाई में आ सकता है और इस क्षेत्र को काफी राहत मिल सकती है।

4.00 P.M.

श्रीमान्, मैं एक दो प्वाइंट और कहना चाहता हूँ। गांवों में जो अस्पताल हैं उनकी बहुत बुरी दुर्दशा है। गांव में वैसे भी अस्पतालों की कमी है। वहाँ पर डाक्टर नहीं होते हैं। अगर गांव में सडर हो जाता है तो उसके मैडिकल के लिए डाक्टर के पास ले जाने की बखुरत होती है। क्योंकि वहाँ कोई डाक्टर नहीं होता है इसलिए वहाँ के लोगों को 20-20, 30-30 मील दूर अपने कंधे पर लाश उठा कर ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ डाक्टर अवलेवल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे बहुत कम संभावना रहती है, कि वहाँ डाक्टर मिल जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गांवों को सुविधा देने के लिए कम से कम 10 मील के एरिया में छोटे-छोटे अस्पताल खोले जायें और यदि ये न खोले जा सकें तो प्रायुर्वेद के अस्पताल तो अवश्य ही खोले जाने चाहिये जिससे जनता को राहत मिल सके। मैं आपके सामने कई उदाहरण पेश कर सकता हूँ लेकिन समय

की कमी के कारण मैं नहीं करना चाहता।

अब मैं स्कूलों के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। प्राइमरी स्कूल से बच्चा पढ़ कर हाई स्कूल में जाता है, हायर सेकेण्डरी स्कूल में जाता है और उसके बाद वह कालिज में जाता है। कालिज में पढ़ने के लिए उसके शहर में जाना पड़ता है और वहाँ उसको शहर की हवा लग जाती है। यहाँ तक कि गांव का रहने वाला बच्चा भी वापस गांव में आने को तैयार नहीं होता। मेरा निवेदन है कि अगर समग्र गांव का विकास करना है तो खाली गांव का ही नहीं बल्कि शहर के इन्दर रहने वाले लोगों की तरफ भी आपको अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। जब इस देश के गांवों के लोगों का भला होगा तभी हम गांवों का समग्र विकास कर सकते हैं। अन्त में प्रस्तावक महोदय को इस प्रस्ताव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा प्रस्ताव लाकर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं मानना चाहूँ कि इन्दिरा गांधी का गुण हम इसलिए मानते हैं कि उनका 20 सूत्री कार्यक्रम गांव के विकास के बारे में है। आप भले ही उसको मंत्रों के रूप में लेते हैं। हम इन्दिरा गांधी की जय-जयकार करते हैं और गांव में भी हर एक को जूझान पर है इन्दिरा गांधी हमारी नेता है। वह ही देश को आगे ले जा सकती हैं और शरीरों का भला कर सकती हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHM R RAMAKRISHNAN): Before Mr. Bagaitka, starts, I must tell you one thing. There are several other speakers, and the hon. Minister has said that he would talk about half-an-hour, and it is a recommendation of the Business Advisory Committee that this Resolution should be finished today. So, I leave it to the pleasure of the House to see whether these things can be done.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): How can it be done? It can be continued to next day.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, before I speak I will read out my amendments.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: How can he?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: The amendments have been circulated. I will read them out. I have moved them already. I am sorry you were not here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMAKRISHNAN): He has moved it already.

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: My amendment is: "That after paragraph (ii) the following be inserted, namely:—

(ii) restart food for work programme and enlarge it to cover all States;

(iib) ask the State Governments to start employment guarantee schemes in order to help vast multitudes living below poverty line to earn some livelihood for themselves:

(iic) to recast its industrial policy with a view to ban production of all those items of daily use like soap, tooth paste, shoes etc, by big factories and reserve their production by medium and small size plants with a view to increasing the employment opportunities in the rural areas."

श्रीमन्, माननीय सदस्य श्री गुरुदेव गुप्त जी ने जो प्रस्ताव सदन में पेश किया है उस प्रस्ताव का इन संशोधनों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने अपने भाषण में फूड फोर वर्क आदि बातों का भी उल्लेख किया। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि वे इस बात को मानेंगे कि यह जो

उनका निर्गुण प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में मेरे संशोधनों से कुछ जान आएगी, उसको कुछ मूल रूप मिलेगा और उसको समूण रूप प्रदान करने के लिए इनको जोड़ना बहुत आवश्यक है। वरना यह तो "सर्व सन्तु निरामये" का तरह का प्रस्ताव हो जाएगा। अगर आप इस प्रस्ताव से कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ताति के तोर पर कोई दिशा दर्शन कराना चाहते हैं तो जो संशोधन मैंने रखे हैं उनको आप कबूल काजिए। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी आग्रह नहीं करेगी।

श्रीमन्, मैंने ये संशोधन इसलिए रखे हैं कि इस समय हमारे देश में जो स्थिति है उसको मैं सदन के सामने लाना चाहता हूँ। मैं श्री गुरुदेव गुप्त जी से यह आग्रह करूँगा कि वे देश की स्थिति को अच्छी तरह से समझ लें। हमारे ग्रामीण विकास की समस्या सही मायनों में देश के विकास की समस्या है, और इसलिए विकास को स्ट्रेटजी क्या हो, नीति क्या हो, उस पर हमारे देश में वर्षों से बहस चल रहा है। यहाँ तक कि ख्यातिनाम इकोनोमिस्ट श्री गुनार मिर्डाल, जिनका सरकार की तरफ से सत्कार किया गया है, उनकी 'एशियन ड्रामा' नाम की तीन खण्डों का किताब है, उन्होंने भी इस और हमारा ध्यान खींचा है। वे एशिया के इन इलाकों में घूमे हैं। उन्होंने विस्तार से इन क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया है। उसमें भी मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सरकार और श्री गुरुदेव गुप्त कुछ सबक लेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। हमारे देश में जो बर्बादी चल रही है और विकास के नाम से प्रोग्राम तो तैयार किये जाते हैं, लेकिन उनसे कितने लोगों को फायदा होता है, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस सम्बन्ध में कुछ कहने के पहले मैं सदन का ध्यान और

श्री गुप्त का ध्यान इस बात को और दिलाना चाहूंगा कि हमारे देश की स्थिति कितनी गम्भीर है और हमारे देश में जो गरीबी बढ़ रही है और सरकार उसके लिए जो उपाय कर रही है, इन दोनों में बिल्कुल भेल नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े देना चाहूंगा। फी आदमी को इन तीन दशकों में जो अनाज उपलब्ध है उसको मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। सन् 1961-62 में यहाँ पर फी आदमी को 461 ग्राम अनाज मिलता था। सन् 1971-72 में वह 465.5 ग्राम हो गया और सन् 1980-81 में वह 459.5 ग्राम हो गया। इससे मालूम होगा कि हमारे देश में अनाज मिलने की जो स्थिति है वह गिरती गई है। दूसरी तरफ हम ग्रामीण बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे सामने साधन जुटाने की क्षमता कितनी है और हम उन लोगों के बारे में क्या कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में हमारा जो एम० आर० टी० पी० एक्ट है और उससे सम्बन्धित धरानों के बारे में जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 1979 में एम० आर० टी० पी० हाउसेज को 69 लाइसेंस दिये गये, 1980 में 84 लाइसेंस दिये गये और 1981 में जब कि आज की सरकार आई, गरीबी दूर करने का वायदा देकर, तब से 261 लाइसेंस एम० आर० टी० पी० हाउसेज को दिये हैं। एम० आर० टी० पी० हाउसेज क्या होते हैं, वे कौन सा कारोबार करते हैं, यह सारी बात मैं छोड़ता हूँ। इस प्रस्ताव के

मूवर गुप्ता जी और सदन को इन आंकड़ों से पता चलेगा कि एक तरफ अनाज की पूर्ति भी गांवों में और देश में हम कर नहीं रहे हैं। फी आदमी, पर कैपिटा अनाज जो है वह गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ मोनापली हाउसेज को जो लाइसेंस हम दें रहे हैं, उनमें बड़ा संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके जो आंकड़े हैं वह मैंने सुना दिये और ये सब, जो आंकड़े हैं वह सरकार के हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब यह स्थिति है, ग्रामीण विकास का खाली संकल्प करके, केवल मंशा रख कर आप क्या करेंगे। इस ग्रामीण विकास में अगर कुछ जान लानी है तो इसके लिये समर्थवृद्धता लानी आवश्यक है। प्रस्ताव में यह बात है, जो साधन हमारे पास हैं, वे साधन उसके लिये जुटाये जायेंगे, प्राथमिकता इसके लिये होगी, इसके लिये इंतजाम करना पड़ेगा नीति तय करनी पड़ेगी। और उस नीति पर सरकार को अमल करना पड़ेगा। इसलिये जब ग्रामीण रोजगार समय का तकाजा है तो इस सदन में दिये गये जवाबों से पता चलेगा कि फूड फार वर्क के अन्दर जो रोजगार उपलब्ध हुआ था, उसके आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इसी, राज्य सभा में 16-9-1981, सितम्बर मास में जो जवाब दिया गया उस का आखिरी अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पूरे हिन्दुस्तान में 1977-78 के ये आंकड़े हैं, लाख के हिसाब से इसको कर दिया जाय तो 1977-78 में 444.34, 1978-79 में 3556.88, 1979-80 में 5817.10, 1980-81 में 2546 था।

फूड फार वर्क, जो प्रोग्राम था वह कितना आवश्यक प्रोग्राम था और उससे

[Shri gadashiv Bagitkar]

कितना उपयुक्त काम ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिये होता था, यह इन्हीं आंकड़ों से साबित हो जाता है। लेकिन आज फूड फार वर्क कार्यक्रम बन्द हो गया कि फूड फार वर्क जो योजना थी उसमें कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खामियाँ अगर हैं तो अमल में अगर कुछ गलतियाँ हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन फूड फार वर्क प्रोग्राम को मूकम्मल बन्द कर दिया। कुछ दिन पहले इसी सदन में बेरोजगारी पर चर्चा हुई थी उसमें ये आंकड़े सामने आये कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं जिनके नाम दर्ज थे। ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं उनमें से मुष्किल से 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत लोगों के नाम ही रजिस्टर में चढ़ते हैं। अन्डर-इम्प्लायमेंट अन्-इम्प्लायमेंट है और ये सारे आंकड़े हम लोगों के सामने हमेशा आते रहे हैं और इसका सम्बन्ध है ग्रामीण विकास है। इसलिये अगर आपको समय-बद्धता इसमें लानी है तो समय-बद्धता लाने के लिये आपको अलग से सोचना पड़ेगा कि उसके लिये साधन हम कहाँ से जुटायें, कौन-जुटायें। साथ ही साथ यह भी हमको करना पड़ेगा कि जिन चीजों को रोजगार जुटाने के लिये, ग्रामीण इलाकों में रखा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, ऐसा कोई काम हम बड़े बड़े पूंजीपतियों, सरमायेदारों के कब्जे में न रखें। अगर हमें ग्रामीण उद्योगों का विकास करना है तो जो हॉटो क्राफ्ट है, स्माज स्केल इंडस्ट्री है, काटेज इंडस्ट्री है, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे और उसमें अगर जो मोनापली हाउसेज हैं उसका कब्जा कायम रहेगा तो रोजगार पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी सदन में हिन्दुस्तान लीडर और बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर कई बार चर्चा हुई है मगर उनकी स्थिति

मजबूत नहीं है। जैसे जूते हैं, साबुन है, ये सारी चीजें जिनका उत्पादन गांवों में हो सकता है, गांवों में कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाती है, उनकी लाइसेंसिंग कंपैनिटी है, उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन करते हैं और उन्होंने इन चीजों का पूरा काराबार अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसमें जो रोजगार उत्पन्न होना है, शिक्षित जो रोजगार ढूँढ़ रहे हैं, एजूकटेड अन्-इम्प्लायड है, जो छोटे इलाकों और कस्बों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए गुंजाइश नहीं रही है। इसलिए मैं चाहूँगा कि यह जो प्रस्ताव आप लाए हैं इस प्रस्ताव में सरकार के लिए कुछ कहना है तो वह सरकार को कहना पड़ेगा। हमारे मन में यह शंका नहीं है आप भी चाहते हैं कि ग्रामीण इलाकों का उद्धार हो। यह सब सही है लेकिन उद्धार चाहने मात्र से क्या होता है? उसके लिए जो आपको कारगर कदम उठाने चाहिये उसके लिए जो सख्तो बरतनी चाहिये वह आप नहीं बरतेंगे जो नीति है उस पर आप अमल नहीं करेंगे तो यह जो आपकी मंशा है वह कभी सफल नहीं होने वाली नहीं है। इन इरादों से को नया चाज बनने वाला नहीं है। आप बिलकुल उल्टी दिशा में जा रहे हैं। मोनोपली हाउसेज को लाइसेंस देकर जा रहे हैं। लैंड रिफॉर्म पर अमल नहीं हो रहा है। बेदखली इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिस राज्य से मंत्री जो आते हैं बिहार में लैंड रिफॉर्म भी उपलब्ध नहीं है। आजादी के 30 साल के बाद यह हालत है तो फिर आगे क्या करेंगे। आप किस तरह से रोजगार लोगों को दे देंगे। बेदखली होने से रोकने के लिए, गांव के स्तर पर जो

नाते करनी है, उनके लिए आप साधन नहीं जुटाएंगे तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई सुधार होने वाला है। इसलिए श्रीमन्, मेरा अग्रह प्रस्ताव महोदय से यह है कि आपने आज जो नोति के मुद्दे उठाये हैं कि जो हो रहा है उसको देखभाल करने के लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी बँटे तो मुझे उसमें कोई यह नहीं कहना कि मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ। आप कायम करिये लेकिन पहले तो सरकार की तरफ से इस नोति का स्वाकृति करा लें, सरकार कबूल कर ले इस नोति को कि हम ग्रामाण इलाकों में 10 सालों में, पांच सालों में सुधार लायेंगे। आपने देखा होगा, प्लासिंग कमिशन के श्रीकृष्ण आप देखेंगे तो ग्रामाण इलाकों में एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को जो पूंजी चार साल पहले लगता था आज उससे कम लग रहा है। आज भी अखबारों में यह आ रहा है कि अनाज की उन्नत घट गई है। उन्नत कारण यह है कि फर्टिजिजर, खाद का इस्तेमाल ग्रामाण इलाकों में कम हो गया है चार साल पहले जो था वह आज नहीं रहा है। खाद के दाम आज बढ़ गये हैं इसलिए खाद के इस्तेमाल पर उसका असर हो रहा है। तो यह स्थिति जब रहेगी तब ग्रामाण इलाकों में तरक्की करने की उम्मीद रखना तो मैं समझता हूँ कि यह सिर्फ सपना देखना है। इसलिए यह जरूर है। जब एक मायने में सभी दलों द्वारा मंजूर का हुई नोति है कि हमको एग्रीकल्चर को प्रायोरटी देना है। हमको एग्रीकल्चर को, ग्रामाण इलाकों को विकास को जो ग्रामाण इलाकों में रहने वाले शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगारों को जो उनके लिए प्राथमिकता दे कर हम या तो योजना बनायें, सरकार को नोति बनाएं उस पर अमल करें उस पर जब एक राय देना में है तो उस पर

अमल क्यों न किया जाय और फिर जो शिफ्ट हो रहा है। एक समय जब इंडस्ट्रियल पालिसी में 76 उद्योगों को आपने रिजर्व रखा था छोटे और मीडियम स्केल के लिये लेकिन आज क्या स्थिति है। आज उस सूची में कटौती हो गई है। अगर मेरी याददास्त सही है तो 76 से ले कर 18 तक वह सूची घट गई है। (ब्यवधान) इसलिए यह जो सूची थी एक नोति के लिए बनाई गई थी कि किन उद्योगों को स्माल स्केल में रखा जाएगा मीडियम स्केल के अन्दर रखा जाएगा उसके भा आपने हटा दिया है या तो उसको घटा दिया है तो रोजगार उपलब्ध कैसे होगा, इसकी कोई गंजाइश नहीं है। इसलिए श्रीमन्, मैंने यह जो संशोधन पेश किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रस्तावक महोदय मेरे इस संशोधन को कबूल करेंगे और सरकार भी इस प्रस्ताव को कबूल करेगी। ताकि ग्रामाण इलाकों में जो काम हम लोगों को करना है उसमें एक राय हो कर एक उद्देश्य को ले कर हम आगे बढ़ सकें। इसलिए मेरी सदन से यह प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को मेरे संशोधनों के साथ मंजूर करें। अगर मेरे संशोधन अस्वीकार हो गये तो सिर्फ मंशाओं और इच्छाओं का यह मेन-फेस्टो होगा कि हम यह करना चाहते हैं लेकिन कब तक करेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा तो यह बहुत सी खामियां हैं जो आपके प्रस्ताव में रहेंगी। इसलिए मेरा यह अग्रह है कि मेरे इन संशोधनों के साथ प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): There are four more speakers. The Minister wants to reply to the debate. Are the speaker\* prepared to forego their turns? In that case I will call the hon). Minister.



श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब श्रीर लोग हैं. . . (बयबधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): We have only half-an-hour now. The Business Advisory Committee has decided that we should complete this today. What is the pleasure of the House?

श्री शिव चन्द्र झा : एक दो आदमी मौजूद हैं उनको बोलने कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन) : ठीक है दो-दो मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री राम भगत पासवान (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मौजूदा श्री गुरुदेव गुप्त जी के प्रस्ताव का मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ क्योंकि ये गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रस्ताव लाये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे समाज का स्वरूप होना चाहिए कि जिसमें सबों को रोजा रोटी मिले सबों को शिक्षा मिले, किसान रूढ़िवादिता का लोप शिष्टाचार न हों, कोई किन्हीं पर शोषण न करे। आजाद ले लेना तो आसान है लेकिन आजाद का आशीर्वाद हर जगह पहुंचाना, गांव-गांव में पहुंचाना कठिन है, इस कठिन कार्य को श्रमता इंदिरा गांधी ने अपने कंधों पर लेकर इस आजाद के आशीर्वाद को हर गांव में, हर जनता तक पहुंचाने के लिये बृह संकल्प लिया है। इसलिए इस 20 सूत्री कार्यक्रम के द्वारा वे चाहते हैं कि गांव को जो हालत है, उस हालत में सुधार लायें, गांव के लोगों के जीवन को खुशहाल बनायें। वे इस लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाई है और इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिये अनेकों कार्यक्रम हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, गांव में सरकार ने इनके विकास के लिए बहुत इंतजाम किया है फिर भी हमारे गांवों में जो जनता रह रही है

उन्हें अभी तक आजादों का जो लाभ होना चाहिये या वह नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि अभी भी गांवों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि मैं किसी गांव में घूमता हूँ तो देखता हूँ कि पांच घरों में खुशहाल है तो करीब करीब सैकड़ों घरों में शोक है, भुखमरी है। तो इसलिए अभी गांवों में गंदगी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, शोषण है, एट्रोसिटीज हैं। (समय की घंटी) मैं कम से कम गांव का रहने वाला हूँ इसलिए हमको पांच मिनट दस मिनट टाइम जरूर मिलना चाहिये तो गांवों के उत्थान के लिए सर्वप्रथम आपको आर्थिक और सामाजिक समानता लाने की जरूरत है। सरकार ने बहुत इंतजाम किया है। लैंड रॉलिंग लगाकर जिनके पास फालतू जमीन है वह जमीन लेकर हरिजनों में बांट दी। बहुत जगह बटवारा भी हुआ है जमीन दी गई है लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जैसे हाल ही में ज्ञात हुआ है कि बिहार में जिनको जमीनें मिली थी हाईकोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, बहुत जगह वे जमीनों से बेदखल कर दिये गए और उस जमीन के चलते हरिजनों को लिटिगेशन में फंसाकर उनको तबाह किया गया। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि जिस सरकारी, हरिजन को जमान दे दे है उसको गारंटी दी जाय, उसको हर सुरक्षा मिले और उस जमान से उसको बेदखल न किया जा सके।

इसके बाद मिनिमम वेजेज भी आते हैं। अभी गांवों में जो मजदूर हैं जो बेकार हैं लोग हैं वहीं मजदूर करते हैं त. मालिक जो है वे उनको मनमाने मजदूर देते हैं कहीं दो रुपये कहीं डेढ़ रुपये और कहीं चार रुपये तो. . . (समय की घंटी) इतना शोषण मंहगाई है और उनको मनमाने तरीके से वेज मिलता है। इसलिये कम से कम मिनिमम वेज उनको 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार मिलना चाहिये।

उप सभाध्यक्ष महोदय, हम बाढ़ग्रस्त इलाके से आते हैं और बाढ़ग्रस्त इलाके में बाढ़ग्रस्तों के बाद बाढ़ चला भी जाता है तो इसके बाद गांव का क्या हालत होता है वह मैं कहना चाहता हूँ। बाढ़ग्रस्त प्रकार की व्याधि उपस्थित करता है। सर्वप्रथम वह गृह विहिन बना देता है, घर टूट जाते हैं गरीबों के इसके बाद तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं इसके बाद सारा फसल चोपट हो जाता है। गांव के लोग भाग-भाग कर दूसरा-दूसरा जगह पनाह लेते हैं, उनको हालत बहुत दयनाय हो जाता है, इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जो आपका हाऊजिंग बोर्ड शहरों तक ही सोमित है, ऐसा देहात में भी हाऊजिंग बोर्ड होना चाहिए। खास करके जा बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, वहां गांव के गांव बह जाते हैं, इसके लिए वहां हाऊजिंग स्कीम गरीबों के लिए गांव में जाए और कुछ-कुछ एरिया चुन कर के हाऊजिंग बना करके गरीबों में बांटा जाए।

अब मैं डॉक्टरों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जहां हर प्रखण्ड में हेल्थ सेंटर खोले गये हैं वहां डॉक्टर नहीं रहते हैं। पन्द्रह-बीस राज में डॉक्टर आते हैं— (समय की घंटी)—और दस्तखत करके चले आते हैं। ता सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था है, लेकिन वहां मुस्तीदी से काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आपके जो अधिकारी हैं, उनमें चुस्ती आए और सार्कता आए।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है। कहीं-कहीं देखते हैं कि कोई गडल जो व्यक्ति है, उनके वहां तो दरवाजे पर ट्यूबवैल है, घर में ट्यूबवैल और खेत में भी ट्यूबवैल है, लेकिन कई हरिजन बस्तियों में पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए

हम आग्रह करेंगे कि पीने योग्य पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। (समय की घंटी)

हम मानते हैं कि गरीबों पर अद्रासिटी है, अद्राचार है, लेकिन सभी जितने— (समय की घंटी)—गरीब हैं, वह सभी इन्दिरा गांधी जी के प्रति आस्था रखते हैं। वह जानते हैं कि किसी में भी इतनी कष्ट निवारण की क्षमता नहीं है जितनी कि इन्दिरा गांधी में है। अफसोस की बात है कि बीस-सूत्री कार्यक्रम जो था, वह जनता पार्टी के समय में रसातल में मिला दिया गया, जो भी जमीन दी गई थी, उस जमीन को डिपोजिस कर दिया गया है। जहां भी हाऊजिंग स्कीम थी, उन सभी को उन्होंने रद्द कर दिया। तो इसलिए, जनता पार्टी ने जो बीस-सूत्री कार्यक्रम को रसातल में मिला दिया था, अब उस पर तेजो से कार्य हो रहा है और कांटे-कांटे भारत की जनता जो है, भी इन्दिरा गांधी के प्रति बहुत ही आशान्वित है, कार्य भी हो रहा है। (समय की घंटी) हम सरकार से आग्रह करेंगे कि गांव की माली हालत को सुधारने के लिए सर्वप्रथम उनको जमीन दी जाए।

इसके साथ ही शिक्षित के साथ-साथ अशिक्षित भी बहुत बेरोजगार हैं। अशिक्षित की बेरोजगारी में तो इतनी अनसदेंटी है कि मौजम होता है तभी वह कार्य करते हैं, बाकी समय उनका बर्बाद हो जाता है। वह गरीबी में अपना समय व्यतीत करते हैं। (समय की घंटी)

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन्) : अब समाप्त कीजिए।

श्री राम प्रगत पासवान : उनमें निम्न भी कुटीर उद्योग होने चाहिए। महिलाओं के लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह से शिक्षा के लिए व्यवस्था जो

(श्री राम भगत पासवान)

हैं, वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक समय पर जाएं।

गांव की हालत के बारे में एक बात और मद्भाग्यवश विवेक - चालक— गांव मंदगो का डेर है (घंटा) गांव विकास के लिए बहुत राशियां खर्च कर रहे हैं। (घंटा) इन मंदगो को दूर करने के लिए हम विवेक शौचालय होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी गांव में गरीब के पास तो है नहीं, इसलिए हर हरिजन गांव में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव पर मंत्री जी को आधा घंटा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट में ही वह जवाब दे सकते हैं कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, मंजूर करता हूँ। मान लें, हम लोग विरोधी दल में जो हैं, हम लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इनका संशोधन है। संशोधन न भी मानें, तो भी मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन यह नहीं मानेंगे, इसलिए कि इस प्रस्ताव की जो बातें हैं, यह उनको ताकत के बाहर की बातें हैं। इनको सरकार का जो डिप्लान है, चलन है—जैसे टाइम-बाऊंड प्रोग्राम है, यह सरकार से कभी टाइम-बाऊंड प्रोग्राम नहीं हो सकता।

उदाहरण के लिए, यहाँ की कार्यवाही को देख लें आप सभी। मैंने ग्यारह बजे नोटिस दिया है। पर वह नोटिस आपके पास नहीं पहुँचा। टाइम-बाऊंड यहाँ जो हुआ नहीं, आप क्यों जायेंगे पश्चिमी कोसी नहर या भाखड़ा नाल की तरफ। इन सब के बारे में मायापत्नी आप यही

से शुरू कीजिए—चैरिटी बिगिस एट होम। ग्यारह बजे नोटिस दिया, आपके पास पहुँचा नहीं है। मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है—मैं जानता हूँ कि कल जब अध्यक्ष जी आयेंगे, तो कहेंगे कि हमें तो नोटिस नहीं मिला है।

तो सवाल है कि सरकार के पास मशीनरी नहीं है, जो काम को मुस्तैदी से कर सके और करवा सके। पं० जवाहरलाल नेहरू हम लोगों के सामने कहा कि आराम हुआ है—यह उनका र यह कि सब को मुस्तैदी से वार-फुटिंग पर करो। लेकिन इसके लिए मशीनरी नहीं है। मशीनरी क्या हो, उसकी तफसील में मैं ले जाना चाहता हूँ। इन्स्ट्रक्शन सरकार से किसी सरकारी योजना को चलाने के लिए। डा० लाहिवा कहते थे कि मिलिटेंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव मिलिटेंसी होना चाहिए, उसके लिए एक क्रूडिंग स्पिरिट हानी चाहिए आपका जो फ्रेमवर्क है, जो ढाँचा है, उसमें और श्लाक लेवल से लेकर संसद् भवन तक। चूँकि वह फ्रेमवर्क नहीं है, मशीनरी नहीं है इसलिए कोई काम टाइम बाउन्ड होता नहीं है।

द्वितीया बात यह है कि बजट में फण्ड एलोकेशन, बाबू प्रणव मुखर्जी कई बार भी बजट लाएंगे तो एलोकेशन नहीं करेंगे टाइम बाऊंड के रूप में। जो इन्टरनेशनल मोनिटरी डॉण्ड से पैसा आता है उसमें कंडिशनलिटी है, उससे आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं। पैसा देश में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पैसा बहुत है। यह जो कहा जाता है कि देश गरीब है, देश गरीब है, तो यह भारत देश गरीब नहीं है; भारत की जनता गरीब नहीं है गरीब बनाई गई है। देश में अभी भी बहुत दौलत है जिस को ठीक से इस्तेमाल

सांभलाइन, किया जाए करना इंटरनेशनल  
मॉनिटरिंग फण्ड के सामने हाथ पसारना  
पड़ेगा। किसी दूसरे मुल्क की ताकत से  
देश आगे नहीं बढ़ेगा, यह सरकार करने  
को तैयार नहीं है यदि वह करेगी तो  
उनकी कुर्सी हिल जाएगी। उन की कुर्सी  
बरकरार रखी रहे, यह उनको चिंता है।

दूसरा आइटम है, एम० पी० की  
कमेटी बने। यह बहुत अच्छी बात है।  
हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर योजना  
को चलाने के लिए, जिस इलाके से एम० पी०  
प्राप्त है, उनको रखो। मैं प्लानिंग  
की कंसल्टेण्टिब्ल कमेटी का सदस्य हूँ  
वहाँ भी मैं इस बात पर जोर देता हूँ  
कि जितनी योजना हो सब में स्थानीय  
एम० पी० भी रखा जाए ताकि वे मुस्तीबी  
से मॉनिटर कर सकें। लेकिन यह भी करने  
के लिए वह तैयार नहीं है। उन को  
डर है कि ये लोग जाएंगे तो हमारा  
भंडाफोड़ करेंगे। उनके अफसर जो पैसा  
खाते हैं, उनकी मशीनरी जो जर्जर है,  
उसका भंडाफोड़ करेंगे।

इसलिए जितनी बातें प्रस्ताव में हैं,  
सब ठीक है, उनका का समय मत बरबाद  
करिए, मंत्री जी को बोलिए एक मिनट  
में यह कह दें मैं मंजूर करता हूँ, हम  
लोग इसका समर्थन करते हैं। उपसभाध्यक्ष  
जी, अगर ये नहीं मानते हैं तो प्रस्तावक  
सहोदय को मैं कहूंगा कि वह डिविजन  
मांगें, हम उन का साथ देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.  
RAMAKRISHNAN): Mr. Minister.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO  
DHABE: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.  
RAMAKRISHNAN): Mr. Dhabe, you  
were not there. Now there is no time.  
The Minister will speak. After that,  
Mr. Gupta will reply.

श्री कलराज मिश्र : उपसभाध्यक्ष  
जी, 2 मिनट के अंदर मुझे भी कह लेने  
बोलिए।

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामकृष्णन्):  
नहीं, दो-दो मिनट करके पांच मिनट हो  
जा जाएगा। और भी 3 स्पेक्स हैं।

श्री कलराज मिश्र : मैं 2 मिनट से  
ज्यादा समय नहीं लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R.  
RAMAKRISHNAN): We will try to  
ask the Minister to be brief. If there  
is any time left after he has spoken,  
then you can speak.

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में  
राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) :  
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय  
सदस्य श्री गुरुदेव गुप्त का बहुत  
आभारी हूँ कि उन्होंने यह महत्वपूर्ण  
प्रस्ताव लाकर इस महत्वपूर्ण विषय पर  
चर्चा का मौका सदन को दिया। जितने  
भी अन्य माननीय सदस्यों ने इसकी बहस  
में भाग लिया है मैं उनकी भावनाओं  
की कद्र करता हूँ और मैं मानता हूँ कि  
वे इस बारे में सच्चा भावना रखते हैं।  
अधिकार जो हम यहाँ इस सदन में बैठे  
हैं, गाँव से ही आते हैं, कई लोग शहर  
से भी आते हैं। लेकिन शहर भी गाँव  
पर ही आधारित है। इसलिए मैं हर जो  
भावना यहाँ प्रगट की गई है उस का  
आदर करता हूँ और मैं मानता हूँ इस का  
कोई राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश  
नहीं को जाए क्योंकि जितनी चिंता आप  
की है, मुझे यह कहने में कोई संकोच  
नहीं है, कि हमारे दल को, हमारा सरकार  
को, हमारे प्रधान मंत्री को, हमारे जो  
यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, गव  
साहब, यह भी किसान हैं, इनको चिंता  
कुछ आप से कम नहीं है। मैं भी गाँव  
से आता हूँ, ज्ञा साहब भी हमारे प्रदेश

**श्री बालेश्वर राम :** से आते हैं। हम सभी उन समस्याओं से बाकिफ हैं, लेकिन समस्याएं इतनी जटिल हैं कि हम कभी दावा नहीं करते कि हमने सारी समस्याओं का निदान कर दिया है। गांव के लोगों को जो परेशानियां हैं उनको हमने दूर कर दिया है, ऐसा हम दावा नहीं करते। लेकिन हमने जहर किया है और बड़े पैमाने पर किया है। प्रयास उस में आप सब के सहयोग की जरूरत है।

सब से पहले मैं बता दूँ— माननीय सदस्यों को पता नहीं जानकारी है या नहीं -- जो ग्रामीण विकास के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज बनायी गयी हैं हमारे माननीय सदस्य जिस जिले से आते हैं वहाँ उस के वह सदस्य हैं। उस जिले के जो असेम्बली के मेम्बर हैं वह भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसी के मेम्बर हैं और उन को राय है, उन्हीं के फैसले के मुताबिक, उन्हीं को गाइडलाइन्स के मुताबिक सारा काम होने वाला है। वह समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। सारे कार्यक्रम इस प्रकार चलेंगे। अगर हम चार आठमियों को टीम बना भी दें तो क्या यह सम्भव है कि वह पांच लाख गांवों की जो समस्याएं हैं उन की जानकारी ले सके। इस लिए हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज बनायी हैं उन में हमने आप को शामिल किया है और उन में वहाँ की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी रखा है। इस लिए यह शंका ही निर्मूल है कि आप का पार्टिसिपेशन नहीं है। इस शंका को मैं दूर करना चाहता हूँ।

**कृषि तथा ग्रामीण विकास और नागरिक पुति मंत्री (राज वीरेन्द्र सिंह) :** वह भीटिस्त में ही नहीं जाते।

**श्री बालेश्वर राम :** अगर न जाय तो इस में गलती सरकार की नहीं है।

और जो उपबन्ध किये गये हैं उन के बारे में आप को सूचित करूँ संक्षेप में क्यों कि ज्यादा समय मेरे पास नहीं है। मुख्य-मुख्य जो योजनाएं ग्रामीण विकास की हैं उन की शुरुआत में थोड़े समय में आप का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना में 567.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था था। छठी पंचवर्षीय योजना में हम 2542 करोड़ रुपया सेन्ट्रल सेक्टर से खर्च करेंगे। वह क्लेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से खर्च किया जायेगा। जो राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों के बजट है वह कुल मिला कर पब्लिक सेक्टर से 4463.67 करोड़-करीब 4500 करोड़ खर्च होगा। हमारा अनुमान है कि जो बैंक हैं और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन से कम से कम 3000 करोड़ रुपये इस में लगाये जायेंगे और कुल मिला कर हम 7500 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर खर्च करना चाहते हैं। इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था आज तक कभी नहीं की गयी। त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन कार्यक्रम हमने शुरू किये हैं।

पिछले साल जो आई० आर० डी० का प्रोग्राम है, समन्वित ग्रामीण विकास की योजना है उस के अन्तर्गत हमने कुल 150 करोड़ रुपये खर्च किये और 200 करोड़ रुपये बैंकों से आये। लगभग 27 लाख परिवार उस से लाभान्वित हुए हैं। हमारा अन्दाजा है और उस तरफ हमारी कोशिश है कि इस योजना के अन्तर्गत करीब करीब डेढ़ करोड़ फैमिलीज को; जो शार्वटी लाइन के नीचे हैं, ऊपर लाना है। हम जागरूक हैं, जान्ती हैं कि 48 फीसदी ऐसे लोगों की आबादी है जो गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, लेकिन हमने प्रयास जरूर किया है और हमें आशा है, जैसा मैंने कहा, कि डेढ़ करोड़

परिवार गरीबी को रखा के ऊपर आ सकेंगे।

नौजवान और नवयुवतियों के सेल्फ एम्प्लायमेंट को और भी हमने प्रयास किया है। थोकड़े देकर मैं आप का समय नहीं लेना चाहता। हमने प्रयास शुरू किया है कि हर ब्लॉक को पीछे 40 नौजवान या नवयुवतियों को प्रशिक्षण दें और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको जो हमारे बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं सहायता करें मदद दें, कर्ज दें। इस के लिए सब जगह कोशिश भी जारी है। हम मानते हैं कि पीछे बैंकों की कठिनाइयां रहीं-1 ग्रामीण विकास के लिए जितना धन चाहिए, सहायता चाहिए, कर्ज चाहिए सरकारों क्षेत्र से हम देते थे, लेकिन बैंको से उतना सहाय नहीं जा पाता था। बैंको को अपनी कठिनाइयां थीं। स्टाफ की कमी थी; कई जगह शाखाएं स्थापित नहीं कर सकते हैं। कभी-कभी मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गया था।

मेवालय और दूसरे हिस्सों में बहुत ने ऐसे इलाके हैं जहां बैंक हो ही नहीं सकते। बैंक खुलते ही नहीं। यह कठिनाई उनकी है। लेकिन अभी के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है कि जो ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है एन० आर० डी० पी० का उसके लिए वह बैंकों के प्रतिनिधियों का एक मीनिटरिंग सेल बनाना चाहते हैं। इससे हमें बल मिलेगा और हमें आशा है कि जो हमने अपेक्षाएँ रखी हैं उनको हम पूरा कर पायेंगे।

इसी तरह से 600 परिवारों को हम चाहते हैं कि हर एक ब्लॉक से ऊपर उठायें। अगर पिछले साल हमारा टारगेट कम हुआ है तो इसको हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनको हम सेंटर से पैसा सीधे ही भेज सकते हैं। हमने यह फैसला लिया है कि पैसा यहां

से राज्य सरकारों को जायें और फिर उसका बंटवारा हो उसके बजाय आई० आर० डी० का जो पैसा है वह सीधे ही हम डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज को भेजेंगे और उसको लेकर वह अपना काम शुरू करेंगे। हम पैसा राज्य सरकारों को भेजें और वह फिर उनको दें इसमें देर होगी। इस काम में हम जल्दी करना चाहते हैं और इसमें हमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमें उम्मीद है कि हम अपनी आशा और अपेक्षा को इस क्षेत्र में पूरा कर पायेंगे।

दूसरे जिसकी आपने चर्चा की एन० आर० डी० पी० की, वह अब हमारी छठी पंचवर्षीय योजना का अंग बन गया है और उसमें सेंटर से ही 980 करोड़ रुपया हम खर्च करना चाहते हैं इस योजना के अन्त तक और राज्यों के हिस्से को मिलाकर कुल 1620 करोड़ रुपया योजना के अन्त तक इस पर खर्च होना है। हमें आशा है कि यह काम पूरा होगा और राब साहब ने यह फैसला लिया है कि पिछले साल जो हमारी कुछ कठिनाइयां हो गयी थीं अनाज को लेकर, हम अनाज नहीं दे पाये थे, लेकिन इस साल हमने फैसला लिया है कि एक किलों की दर से अनाज भी दें। जो पैसा उनको मिलेगा उसमें हम एक किलो की दर से अनाज भी देना चाहते हैं काम करने वाले भाइयों को ताकि हम कीमतों को भी स्थिर रख सकें और जो उसका उद्देश्य है कि गांवों में गरीब भाइयों को काम मिले वह पूरा हो सके। उनको हम अनाज भी देंगे और बाकी का पैसा उनको देना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसा खर्च हो जाता है और केवल मिट्टी का काम हो पाता है। उसके लिए हमने यह किया है कि 60 फीसदी पैसा हम अर्थ वर्क पर खर्च कर सकते हैं और 40 फीसदी पैसा वहां के असेट्स को पक्का करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने पर खर्च होगा जो वहां गांव के लिये, समाज के लिये, वहां की कम्युनिटी के लिए

[श्री बालेश्वर राम]

होगे और यही हमारा उद्देश्य है और इसको हम मांनिटर कर रहे हैं। इन योजनाओं को आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने भी कई राज्यों में जाकर खुद देखा है। वे रिव्यू कर रही हैं इनका कि आई० आर० डी० प्रोग्राम कैसे चल रहा है और इन आर० ई० पी० का प्रोग्राम कैसे चल रहा है। इस वर्ष को उत्पादकता का वर्ष घोषित किया गया है और उसके लिए हमारे कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं इसको स्वयं उन्होंने रिव्यू करना शुरू किया है। राव साहब भी इसको रिव्यू करते हैं और मैं भी जगह जगह जाता रहता हूँ और देखता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस काम में तेजी आये और आपकी भावना से हम पीछे नहीं रहना चाहते हैं और हम को आशा है कि इन० आर० ई० पी० की जो स्कीम है उससे हर साल 300 मिलियन से 400 मिलियन मैनडेज का काम लोग पावेंगे और इसके लिए हमारी कोशिश भी है। पिछले साल करीब 450 मिलियन मैनडेज काम हुआ। 1980-81 के अन्दर। 1981-82 के फीगर्स मेरे पास लेटेस्ट नहीं आये हैं इसलिए मैं उनको नहीं दे रहा हूँ लेकिन पिछले साल करीब 450 मिलियन मैनडेज काम इसमें हुआ है। तो इसलिये यह जरूरी है कि इस काम को बढ़ाया जाये। आपने देखा होगा कि पहले के राज में पूरा अनाज दिया जाता था और आपने देखा है कि किस तरह से फालतू ढंग से सारा अनाज खर्च किया गया। मैं इस के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ लेकिन हमारे भाई सामने बैठे हैं उनकी उस वक्त हकूमत थी, उस वक्त तक जो सारा अनाज हमने जमा किया था फड फार बर्क के नाम पर किस तरह से वह नाजायज तरीके से खर्च हुआ, इसे आप जानते हैं। इसको हमने प्लान का एक हिस्सा बनाया है और इसे हमको चलाना है और इसको मांनिटर करने के लिए गांव

सभा से लेकर ऊपर तक हम लयना चाहते हैं। इसका लाभ जिनको मिलने वाला है वह इसके लिए काम करेंगे। उसी तरह से हम चाहते हैं एन० आर० ई० पी० की जो योजना है वह नीचे से आये और हमको भी उसकी जानकारी मिले। इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकारों से हम कह रहे हैं कि इसकी सूचना हमको भी होनी चाहिये। एन० आर० ई० पी० की योजनाएँ जो वे चलाना चाहते हैं, उनकी जानकारी हमको दें। इस तरह से हम उसको मांनिटर भी करना चाहते हैं और उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर स्टेट लेवल पर कमेटीज बनी हुई हैं। इन सब प्रयासों के बावजूद भी कमजोरियाँ नहीं हैं या टूटि नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे प्रयास इस तरफ जारी हैं। मुख्य मुख्य मुद्दों की माननीय सदस्य ने चर्चा जो की थी मैंने उनके बारे में बता दिया।

मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूँ कि हमारे राजस्थान के माननीय सदस्य ने राजस्थान की चर्चा की, वह बहुत परेशानी से गुजरता रहा है। पानी की कमी वहाँ रही है, काफ़ी परेशानी उनको रही है। इसमें दो राज्य नहीं हैं। लेकिन राजस्थान की तरफ भी हम लोगों का ध्यान है। वह डी० पी० ए० पी० का क्षेत्र दूसरे प्रदेशों में भी है, हरियाणा और बिहार में भी है। हिन्दुस्तान भर में 73 डिस्ट्रिक्ट्स में सूखा पीड़ित क्षेत्र जो है उसको उपजाऊ बनाने के लिए 13 स्टेट्स में यह काम चल रहे हैं और 554 ब्लॉक में इनसे अच्छा प्रभाव हो रहा है। उसके लिए हम हर जिले को 15 लाख रुपये प्रति ब्लॉक के अनुसार प्रैसा देते हैं जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लिए 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अभी तक 1980-81 तक

लगभग 4.35 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन के लायक बना दिया गया है और अभी कुछ ऐसी जमीन है जिसको ठीक किया जा सके। भूमि संरक्षण कार्य 15.64 लाख हेक्टेयर्स में किए गए हैं। और करीब करीब 7 लाख हेक्टेयर जमीन में जंगलांतव चरामाहू लगाए गए हैं। 6631 मिलक कोआपरेटिव सोसाइटीज वहां बनीं। 1170 सीप कोआपरेटिव सोसाइटीज बनीं और करीब करीब 82.44 लाख फैमिलीज को इससे मदद मिली है। 252 मिलियम मैन-डेज भी उसमें जैनरेट हुए।

बहुत से हिस्से राजस्थान में से हैं जो महसूल। वहां पर भी लगभग 15 लाख हेर ब्लाक के पीछे हम खर्च करते हैं और छोटी पंचवर्षीय योजना में लगभग 50 करोड़ रुपये हम खर्च करने की व्यवस्था कर चुके हैं। हमें आशा है कि अगर यह सब काम हो सके तो काफी राहत मिलेगी। उसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का भी है, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश का भी है और मुझे आशा है कि जित्त तरह से इस काम की शुरुआत हुई है, आपका सहयोग मिलेगा तो इस काम में भी प्रगति होगी।

हमारे माननीय सदस्य ने वेस्ट बंगाल की बात कही। लैंड रिफार्म की चर्चा आपने की। ठीक है, लैंड रिफार्म्स और सीलिंग का जो काम शुरू किया गया था वह जनता पार्टी की सरकार आने के पहले शुरू हुआ। लगभग 40 लाख एकड़ जमीन सरप्लस डिक्लेयर की गई। उसमें से लगभग 26 लाख एकड़ जमीन से ज्यादा हम कब्जे में ले सके हैं। लेकिन उसमें भी 18 लाख एकड़ जमीन का ही बंटवारा हो सका है। 11 लाख एकड़ के करीब जमीन मुकदमें में फंसी हुई है। हमारी कठिनाई यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी आबजर्शंस दी हैं जिनकी

वजह से भी कठिनाइयां पैदा हुई है और 11 लाख एकड़ जमीन को हम नहीं निकाल पाये हैं। हमारी कोशिश रही है कि जॉ मिनिस्ट्री एक रास्ता निकाले जिससे हम नव शैडूल में इसको डाल सकें। पिछली दफा भी मैंने माननीय सदस्यों को बताया था कि हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उस तरफ भी हमारा ध्यान है। पश्चिमी बंगाल की माननीय सदस्या ने वेस्ट बंगाल की चर्चा की। वहां बहुत कम प्रगति हुई है। मैं अगर आंकड़े देकर बताऊं तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से वह विकास करना चाहते हैं। जो समन्वित ग्रामीण विकास की योजना है, आई० आर० डी० पी० की उसमें पिछले साल 8 करोड़ रुपये आवंटित किए और मुश्किल से उसमें से उन्होंने 42 लाख रुपये खर्च किये। यानी 50 प्रतिशत भी उन्होंने खर्च नहीं किया। जितनी राज्य सरकारें है उनमें सबसे पुअर परफार्मेंस वेस्ट बंगाल की है। जो आई० आर० डी० पी० योजना चल रही है उसमें वेस्ट बंगाल सबसे पीछे है क्यों नहीं वह इस काम को शुरू करते कार्यान्वयन करने का काम उनका है। हम यहां से गाइड लाइन देते हैं, मदद देते हैं तो फिर वह क्यों नहीं करते। अगर मैं लैंड सीलिंग के आंकड़े दूं तो आपको पता लगेगा कि कितनी फालतू जमीन उनके पास है और उन्होंने उसका अभी तक बंटवारा नहीं किया। उनके पास एक लाख एकड़ से अधिक जमीन है जिसे वह वांट नहीं पाये। आप वहां की रिप्रजेन्टेटिव हैं, प्रतिनिधि वहां के यहां बैठे हुए हैं उनसे जाकर कहें कि वे इस काम को करें। भूमि सुधार प्रमुख काम है। वहां को राज्य सरकार को स्थय ही चाहिये कि वह इस काम को करे लेकिन वह नहीं कर रही है। 1 लाख 57 हजार एकड़ जमीन वहां सरप्लस डिक्लेर की गई है। इसमें से कबल



**श्री बालेश्वर रावो**

56 हजार एकड़ का बटवारा किया। एक लाख से ज्यादा जमीन अभी उनके पास फालतू पड़ी हुई है वहाँ की चर्चा आपने की लेकिन इस मामले में आपका सहयोग कितना मिल रहा है? राव साहब ने वहाँ के मुख्य मंत्रियों को लिखा कि हमने जो नाम्स दिये हैं, गाइड लाइन्स दी हैं उनको आपको मानना चाहिये। उसके हिसाब से उन्होंने कोई काम नहीं किया फूड फार वर्क्स के लिये जो पैसा उनको चाहिये था वह हमने दिया लेकिन उन्होंने इसका पूरा हिसाब नहीं किया। हमने उनसे युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट मांगा तो वह भी उन्होंने पूरा नहीं दिया। हमने वहाँ जाकर मीटिंग बुलाई थी लेकिन त्रिपुरा वाले नहीं आए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मुझे राव साहब ने भेजा। मैं वहाँ गया। वहाँ मीटिंग की गई। कई प्रदेशों के लोग उसमें आये लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने वहाँ आने की तकलीफ नहीं की। कोई टर्न अप नहीं हुआ। नजदीक से हमने बुलाया लेकिन वह नहीं आये। इस सब के बावजूद भी हमारी नीति है कि किसी तरह से भेदभाव न बरता जायें। हम एक तरह की नीति चलाना चाहते हैं यहाँ बहुत सी बातें उठाई गई हैं हमारी समस्याएँ बहुत सी हैं उनका सबका समाधान करना है। जब हम सीरियली बात करते हैं तो कई दफा आप मजाक करने लग जाते हैं। नया 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने हमको दिया। वह एक नया दिशा निर्देश देश के सामने है, एक नया कार्यक्रम है। आप आज मखोल उड़ा रहे हैं उसका लेकिन उसका संबंध ज्यादातर गांव से है, किसानों से है, मजदूरों से है। आप देखेंगे कि उसमें से अधिकांश कार्यक्रम ऐसे हैं जिनका संबंध ग्रामीण विकास से है, किसान से है। हम इस राय से भी सहमत नहीं हो सकते कि जितने बड़े उद्योग हैं उनको बन्द कर दिया जाये। अपने अमेंडमेंट में आपने यही कहा कि सभी बड़े उद्योग बन्द कर दिये जाएं।

**श्री सदाशिव बागाईतकर :** आपने शाब्दिक मेरे अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं।

**श्री बालेश्वर राम :** आप का अमेंडमेंट मेरे सामने है लेकिन उसमें कई उद्योग ऐसे हैं जिनको आप बन्द करना चाहते हैं। वे बन्द नहीं हो सकते। उनके बन्द होने से देश का नुकसान होने वाला है। यहाँ किसी तरह का टकराव नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि बड़े उद्योग भी चले और जो कार्टेज इंडस्ट्री हैं वह भी चले। 40 ट्रेन में हम नॉजवान युवक और युवतियों को शिक्षण देकर, रोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसमें जूते बताने का काम, सिलाई का काम, चर्खा चलाने का काम, पावर हैंडलूम का काम हो सकता है, कार्पेटों का काम हो सकता है। तेलबानी का काम हो सकता है, साबुन बताने का काम हो सकता है। ये सारे काम उसमें हो सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जितने भी लोग साबुन बनाना चाहते हैं या छोटे-छोटे उद्योग खोलना चाहते हैं, वे खोल सकते हैं। उसमें कोई विरोध नहीं है। उसमें हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप ने जो यह कहा कि कुछ उद्योगों को बन्द कर दीजिये, यह कौसे हो सकता है? इस तरह की गय से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है और जो बातें कहीं है उन सबका जवाब तो मैं नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैंने सारी बातें सुनी हैं। आपकी भावनाओं की हमें कद्र करते हैं। आप इस बारे में चिन्तित हैं। हमारे जो बीस सूत्री कार्यक्रम आये हैं वे सब गांवों के विकास के लिये हैं। मैं अपने विरोधी भाइयों से यह प्रार्थना करूँगा कि वे हमें ग्रामीण विकास में सहयोग दें। जिन समस्याओं का जिक्र आपने किया है, उन समस्याओं को हम नकारते नहीं हैं। वह सही हैं। लेकिन समस्याएँ तभी हल हो सकती हैं जब सब का पूरा सहयोग मिले। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ क्योंकि

दो चार मिनट का समय उनको भी चाहिये। श्री गुरुदेव गुप्तजी से मैं अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको वापस ले लें।

**श्री कलराज मिश्र :** श्रीमन्, आपने कहा था कि मिनिस्टर के भाषण के बाद आप मुझे दो मिनट का समय देंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): I don't mind it but the Half-an-Hour discussion has to be taken at five, and the Business Advisory Committee said that this Resolution has to be completed today. (Interruptions)...

**श्री कलराज मिश्र :** श्रीमन्, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); if there is time, two minutes can be given but there is no time.

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): He will take two minutes only. Mr. Gupta is only going to withdraw it, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN); AU right.

**श्री कलराज मिश्र:** उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने सहयोग की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं सामने आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए विरोधी दलों को सहयोग करना चाहिये। ग्रामीण विकास की दृष्टि से पूर्व में जो योजनाएं बनी हैं वे उसी भावना से बनी थीं कि गांवों का अधिक से अधिक विकास हो। चाहे सामुदायिक विकास की योजना हो या पंचायती राज की योजना हो, चाहे एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना हो, इन योजनाओं के पीछे यही भाव था कि गांवों के अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं को कार्यान्वित करें और इनमें अपना सहयोग

दें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि इतने वर्षों तक जो निर्माण का काम हुआ उसके बावजूद हमारे देश में लगभग 32 करोड़ लोग कंगाली का जीवन बिताते हैं और इनमें 26 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कई बार यह आग्रह किया गया कि स्वैच्छिक संगठनों को, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को ग्रामीण विकास के लिए आगे आना चाहिए। इसको सोच कर कुछ लोगों ने ग्रामीण विकास को अपना केन्द्र बिन्दु मान कर आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जिला है गोंडा, जहां पर बहुत गरीबी है। इस गोंडा जिले में एक स्वैच्छिक संस्थान, दीनदयाल स्वैच्छिक संस्थान ने, आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई और वहां पर काम करना आरम्भ कर दिया। मंत्री महोदय को यह सुन कर प्रसन्नता होगी कि गोंडा जिले में 20 हजार ट्यूबवैल लगाये गये और बहुत से उखों के लिए नलों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। अभी भी वहां पर यह प्रयास चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने सहयोग की बात कही, लेकिन गोंडा जिले में आदर्श गांव का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, चूंकि उसमें श्री नाना जी देशमुख का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हर प्रकार की कठिनाई पैदा की जा रही है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से और विशेषकर कृषि मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास की दृष्टि से उन्होंने जिस प्रकार की भावना सामने रखी है उसको देखते हुए गोंडा जिले में जिस तरीके का यह प्रतिष्ठान चल रहा है उसको ध्यान में रख कर उसको ठीक करवाने की दिशा में पहल

[श्री कलराज मिश्र]

करेंगे और जो स्वैच्छिक संगठन वहाँ पर काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

5.00 P.M.

श्री गुरुदेव गुप्त : मान्यवर, मेरे संकल्प में भाग लेने वाले समस्त सम्मानित सदस्यों का मैं अभिनन्दन करता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उन्होंने अपने मत, अपने विचार इस वाक्य दिये। जिन लोगों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और जो सदस्य इससे सहमत न रहे, अपना संशोधन लाये उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ।

जहाँ तक संशोधन की बात है, मान्यवर, इसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि मैंने अपने वक्तव्य में न कह दी हो और जो कुछ और बातें उन्होंने उठाई हैं उनका मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है जो कि बड़े उद्योगों और मजदूर उद्योगों से संबंधित था, इसलिए उनको स्वीकार करना मेरे लिये संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं संशोधन को प्रस्तुत करने वाले सदस्य महोदय श्री बागाईतकर से आग्रह करूँगा कि वे उसे वापस ले लें। . . . (व्यवधान) . . . मैंने कहा कि संशोधन को वापस ले लें, यह मैंने कहा है। बाकी मंत्री महोदय ने . . . (व्यवधान) . . . आडवाणी जी जरा ध्यान से पुनिये। कम से कम आपने जो कुछ किया वह सामने है और हम जो कुछ कर रहे हैं वह भी सामने है और प्रस्ताव भी सामने है। 20-सूची कार्यक्रम के अन्तर्गत जो योजनाएँ दी गई हैं उनमें से 17 योजनाएँ ऐसी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध गाँवों से है। इसलिए जैसा कि मंत्री

महोदय ने कहा कि इतको सही रूप में लेकर इसमें अपना सहयोग दें और पैर खींचने की कोशिश न करें। इसमें कोई शक नहीं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काफी इनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है और यह संकल्प पूरा किया जा सकता है।

परिवार नियोजन वाली जैसे पहले बात थी, उस कार्यक्रम में आपने जितना पैर खींचा, उसका जितना दुस्परयोग किया, इस कार्यक्रम में हमारी भावनाओं का और कांग्रेस शासन की भावनाओं का, उसका परिणाम यह हुआ कि आपको इस तरफ, इस साइड में बैठना पड़ा और हम उधर बैठे। लेकिन उसके बाद भी आपने इस कार्यक्रम को पूरा नहीं किया। आपने इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। इसलिए अगर आप देश को बनाना चाहते हैं तो राजनैतिक दुश्मिनी से ऊपर उठकर काम करें और हमें अपना सहयोग दें तभी देश आगे बढ़ सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): It is the pleasure of the House? Mr. Gupta's Resolution stands withdrawn. Mr. Bagaitkar, do you want to put your amendment to vote?

SHRI SADASHIV BAGAITKAR: I am not pressing it.

The amendment\* was, by leave withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Half-an-hour discussion. Shri Dhabe.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Mr. Vice-Chairman, Sir, ... (Interruptions)

◆For the text of Amendment vide cols... supra.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Is it the pleasure of the House that Mr. Gupta's Resolution be treated as withdrawn? And Mr. Bagaitkar's amendment is also not pressed. (*Interruptions*)

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: Sir, the Minister agreed to the Resolution. Let the Resolution be adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): But he has withdrawn it, if it is the pleasure of the House. (*Interruptions*)

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: You put it to vote.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, you had called upon the hon. Member to start the Half-an-Hour Discussion and now you are coming back to vote. It is not the practice of this House. Once the other issue has started, if at all there is to be a vote, it can only be on the other item.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : Give some concession to the new Vice-Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The Leader bears most of the burden. In the end the whole thing was lost, I take it that the pleasure of the House is that Mr. Gupta's Resolution stands withdrawn.

*The Resolution\*\* was, by leave,  
withdrawn*

\*\*For the text of Resolution vide cols— supra.

The Vice-Chairman Dr. (Shrimati) Najma Heptulla) in the Chair.

**HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON  
POINTS ARISING OUT OF THE  
ANSWER GIVEN IN THE RAJYA  
SABHA ON THE 23RD DECEMBER,  
1981 TO UNSTARRED QUESTION  
2829 REGARDING WITIO>RAWAL  
OF RAIL CONCESSIONS TO  
SPORTS ORGANISATIONS AND  
FEDERATIONS**

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Madam Vice-Chairman, I am raising an important question. The half-an-hour discussion relates to the Government decision on the withdrawal of the railway concessions to the sports organisations and federations from 1-12-1981. The question was asked by me and my friend, Mr. Nanda:

"whether it is a fact that concessions given to sports organisations and federations by the Railways in different parts of the country have been discontinued;

"if so, from what date and what are the details of the concessions discontinued: and

"whether any representations have been received to restore the railway concession to teams, players and officials protesting against discontinuance and what is Government's decision in this regard?"

The reply is very vague. He has not replied at all. The reply was:

"Based on the recommendations of Rail Tariff Enquiry Committee, the facility of rail travel concession to sportsmen is extended to their participation in national and international meets only w.e.f. 1-12-1981."

It is a very serious question. I will refer to the recommendations of the Rail Tariff Enquiry Committee. The recommendations have not been probably appreciated or read by the Min-